सब का सपना

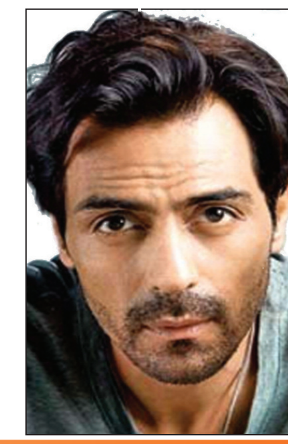

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

चौक बाजार में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे पेज: 8 | यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली में हॉरर के साथ कॉमेडी का पेज: 12

वर्ष : 02 | अंक : 161 | मंगलवार 15 सितंबर 2026 | अमरोहा (उत्तर प्रदेश) | www.sabkasapna.com | पृष्ठ : 12 | मूल्य: 2 रुपए

हिंदी दिवस पर इजरायली राजदूत बोले– 'नमस्ते भारत, मेरा नाम रूवेन अजार'

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिंदी दिवस के मौके पर भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने हिंदी में भारतवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, 'नमस्ते भारत, मेरा नाम रूवेन अजार है। मैं भारत में इजरायल का राजदूत हूं।' इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले भारत आने के बाद उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया था। अजार ने कहा कि दो साल बाद वह हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि दो प्राचीन भाषाएं आज भी जीवित हैं। उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी के महत्व और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी निर्णय की याद में हिंदी दिवस मनाया जाता है।

भाकपा ने ब्रिक्स घोषणापत्र का स्वागत किया, वैश्विक व्यवस्था में सुधार की वकालत की

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने ब्रिक्स घोषणापत्र का स्वागत कर एक अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, लोकतांत्रिक और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में ब्रिक्स समूह को नेतृत्व करने की वकालत की है। भाकपा महासचिव डी.राजा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) व विश्व बैंक में सुधार का आह्वान महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भारत और अन्य विकासशील देशों को शामिल करने के प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया। भाकपा महासचिव राजा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर भारत–चीन संबंधों में हुई प्रगति का उल्लेख किया, जो भाकपा के लंबे समय से चले आ रहे रुख को मजबूत करता है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने पश्चिम एशिया में जारी हिंसा पर ब्रिक्स देशों द्वारा जाहिर की गई स्पष्ट चिंता और गाजा में तत्काल संघर्षविराम के आह्वान का भी स्वागत किया।

ठाणे में नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर मेडिकल प्रतिनिधि गिरफ्तार

ठाणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नाबालिग छात्रा का एक साल से भी अधिक समय तक कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 26 वर्षीय मेडिकल प्रतिनिधि अमित प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस जघन्य अपराध को छुपाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पीड़िता और उसके परिवार को धमकियां दी थीं। इतना ही नहीं, उसने हाल ही में मामले को रफा–दफा करने के लिए परिवार को छह लाख रुपये की मोटी रकम की पेशकश की थी। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के हस्तक्षेप और सहयोग के बाद ही पीड़िता के परिवार ने हिम्मत जुटाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद यह गिरफ्तारी संभव हुई। पुलिस ने अमित प्रजापति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लड़की की उम्र का खुलासा नहीं किया है।

गुवाहाटी महिला हत्याकांड: आरोपी पति की पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में मौत

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम की राजधानी गुवाहाटी में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी रामानुज गोस्वामी की पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान मौत हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रामानुज को मेडिकल जांच के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी आरोपी ने नरकासुर हिल इलाके में चलती पुलिस गाड़ी से कूदकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को रोकने के लिए गोली चलाई, जो रामानुज को लगी। बाद में आरोपी को मृत घोषित किया गया। रामानुज गोस्वामी पर अपनी पत्नी रिया गोस्वामी की निर्मम हत्या का आरोप था। रिया का कटा हुआ सिर गुवाहाटी स्थित उनके घर के रेफ्रिजरेटर से बरामद हुआ था, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध किया था। पुलिस के मुताबिक, गोस्वामी ने एक घरेलू झगड़े के बाद रिया की हत्या कर दी थी। रिया की कथित हत्या के दो दिन बाद, रामानुज ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था और पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के अनुसार, रिया और रामानुज की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी और वे हाटीगांव स्थित अपार्टमेंट में साथ रह रहे थे। मूल रूप से गौरीपुर का रहने वाला रामानुज उबर ड्राइवर का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी एक बुटीक में कार्यरत थी।

ब्रिक्स की सफलता भारत की कूटनीतिक सफलता: यशवंत सिन्हा

पुतिन–शी समेत सभी राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, संयुक्त घोषणापत्र और द्विपक्षीय वार्ताओं को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के समापन के बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है। उन्होंने सम्मेलन की सफलता को तीन प्रमुख बिंदुओं में समझाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मौजूदगी के साथ संयुक्त घोषणापत्र और द्विपक्षीय बैठकों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया।

सिन्हा ने एक बातचीत में कहा कि सम्मेलन की पहली सफलता यह रही कि जिन राष्ट्राध्यक्षों को भारत ने आमंत्रित किया था, वे सभी सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी को अहम बताया। उनके मुताबिक, सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणापत्र जारी होना दूसरी बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणापत्र जारी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार अधिकारियों के प्रयासों से इस पर सहमति बनी। यशवंत सिन्हा ने सम्मेलन की तीसरी उपलब्धि के तौर पर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सम्मेलन के दौरान सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठकें कीं, जिससे कूटनीतिक स्तर पर संवाद को आगे बढ़ाने का अवसर मिला।

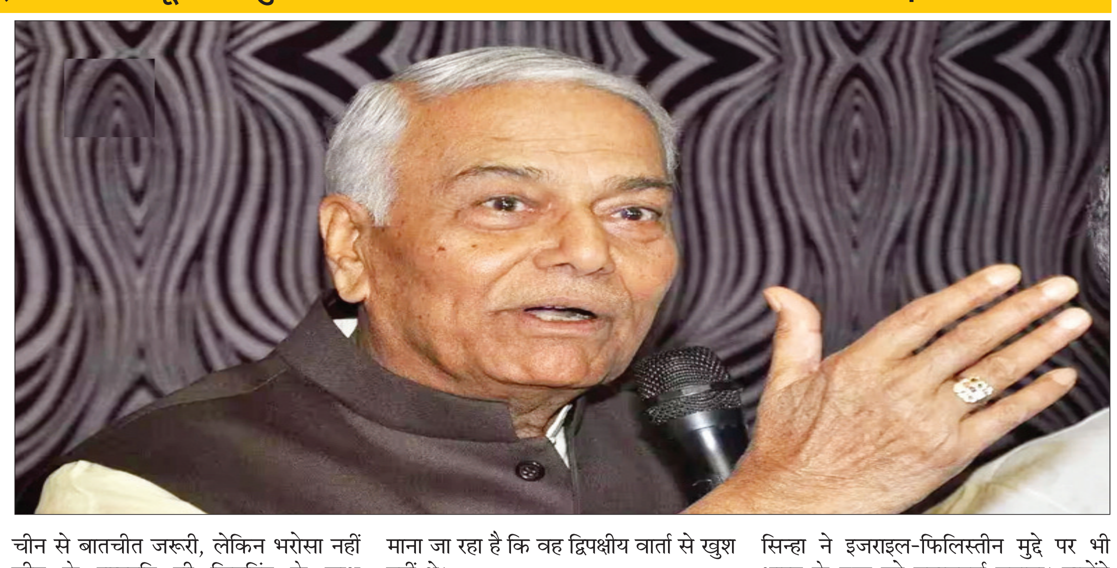

चीन से बातचीत जरूरी, लेकिन भरोसा नहीं

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर सिन्हा ने कहा कि भारत को चीन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन लगातार भारत को परेशान करता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मेलन के दौरान भारत ने अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाई। रात्रिभोज में शी जिनपिंग की अनुपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि वह द्विपक्षीय वार्ता से खुश नहीं थे।

ईरान और गाजा के मुद्दे पर भी भारत की भूमिका अहम

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भारत यात्रा को भी सिन्हा ने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले तथा ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भारत की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होना अहम है।

सिन्हा ने इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भी भारत के रुख को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 12 वर्षों में भारत की स्थिति पारंपरिक रुख से कुछ अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में भारत फिर अपने पुराने स्टैंड पर लौटता दिखा। संयुक्त घोषणापत्र में गाजा का जिक्र भी इसका संकेत है। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से देखा जाए तो भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है।

लोग अब नफरत करते हैं कांग्रेस से : केजरीवाल

- आप संयोजक का दावा- भाजपा का वोटर कांग्रेस को नहीं, आप को वोट देगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब और गोवा में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, कि उनकी पार्टी विपक्ष के वोटों को विभाजित नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा से नाराज मतदाताओं का एक वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं देता, जबकि आम आदमी पार्टी उसे स्वीकार्य है। गोवा चुनाव के संदर्भ में दिए बयान में केजरीवाल ने कहा कि यह मानना गलत है कि आप के अलग चुनाव लड़ने से केवल गैर–भाजपा वोटों का बंटवारा होगा। उनके मुताबिक, ऐसा मानने का अर्थ यह है कि आप को सिर्फ गैर–भाजपा मतदाता ही वोट देता है और भाजपा का मतदाता कभी आप के पक्ष में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि यह धारणा कांग्रेस के लिए सही हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। केजरीवाल ने दिल्ली के चुनावी आंकड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में आप को करीब 52 प्रतिशत वोट मिलते थे, जबकि लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर करीब 32 प्रतिशत रहा। उनके अनुसार, लोकसभा चुनाव में आप के करीब 20 प्रतिशत कम हुए वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर गया, जबकि ये मतदाता विधानसभा चुनाव में आप को वोट देते थे। उन्होंने दावा किया कि ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा से नाराज या असंतुष्ट मतदाताओं का वोट भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा के मजबूत गढ़ में भी आप को भाजपा के मतदाताओं का समर्थन मिला है। उनके मुताबिक, भाजपा का मतदाता आप को वोट देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देता। इसी आधार पर उन्होंने आप के अलग चुनाव लड़ने को वोट–कटवा राजनीति बताए जाने को गलतफहमी करार दिया।

जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन अपनी भाषा न छोड़ें

-हिंदी दिवस पर अमित शाह ने जेन-जी से की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी।
हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के साथ अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हर भाषा अपने साथ इतिहास, लोक परंपराएं और दुनिया को देखने का अलग नजरिया लेकर चलती है और यही विविधता देश में 'विविधता में एकता' की भावना को मजबूत करती है।

अमित शाह ने युवाओं से कहा कि वे दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सकते हैं, सीखें, लेकिन अपनी भाषा को न छोड़ें। उन्होंने माता-पिता से भी बच्चों के साथ उनकी मातृभाषा में बातचीत करने की अपील की। शाह ने कहा कि अपनी भाषा बोलने में हीन भावना महसूस करना गलत है। भाषा व्यक्ति को उसकी मां, मिट्टी, इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि हिंदी संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के तौर पर देश के अलग-अलग समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। हालांकि, हिंदी का विकास तभी सार्थक है जब वह दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी अन्य भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता की महत्वपूर्ण कड़ी है।

फडणवीस सरकार के खिलाफ दीपके ने किया आंदोलन का ऐलान

– एमपीएससी पेपर लीक और छात्र आत्महत्या बना मुद्दा

नई दिल्ली, एजेंसी।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के चीफ अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में भाजपा नीत फडणवीस सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन छेड़ने का बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के साथ सफल आंदोलन के बाद, दीपके अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ अपनी पार्टी और छात्रों के साथ मैदान में उतरेंगे। सीजेपी बीते कुछ दिनों से लगातार फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और अब पार्टी ने आंदोलन की घोषणा कर दी है।

सीजेपी ने विज्ञप्ति में कहा कि एमपीएससी के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा। पार्टी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 24 सितंबर तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे एमपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए राज्यव्यापी दौरा भी करेंगे। एमपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद दीपके ने एक वीडियो संदेश में कहा, मैं और सीजेपी एमपीएससी अभ्यर्थियों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। हम अभ्यर्थियों के साथ तब तक खड़े रहेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। दीपके और अन्य नेता महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अलग-अलग ऑनलाइन परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले के कुछ अभ्यर्थियों ने छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके स्थित दीपके के घर पर उनसे मुलाकात भी की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले अभिजीत दीपके ने करीब एक महीने पहले जंतर-मंतर आंदोलन का सीजन 2 जल्द आने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने भाजपा पर युवाओं से डराने का आरोप लगाया था। इस बीच अभिजीत दीपके ने फडणवीस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे को भी समर्थन दिया। दीपके बीते शुक्रवार को जरांगे से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को उनकी मांगों को समझने के लिए उनसे बातचीत करनी चाहिए। दीपके ने सवाल उठाया, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? वे

अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, वहीं यहां के स्कूलों का स्तर ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि जरांगे के साथ सोनम वांगचुक जैसा व्यवहार करने की कोशिश न करे, वरना पूरा महाराष्ट्र आंदोलन में शामिल हो जाएगा।

राज्यसभा सांसदों के दल-बदल से आप को सबक, बनाए कड़े नियम

-राघव चड्ढा के जाने के बाद सजग हुई आम आदमी पार्टी

गोवा, एजेंसी।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेताओं के दल-बदल को लेकर सख्ती बरतने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि भविष्य में किसी भी नेता को राज्यसभा भेजने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में आया है जब आप के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिनमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा, अब तक हमारे चुने हुए नेताओं ने कभी किसी को भी धोखा नहीं दिया है। उन्होंने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा, गोवा में हमारे पास 2022 में दो विधायक थे। भाजपा को सिर्फ एक विधायक की जरूरत थी, लेकिन वे हमारे विधायकों को नहीं तोड़ पाए।

हालांकि, राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने को केजरीवाल ने एक बड़ा सबक बताया

है। उन्होंने कहा, राज्यसभा के मामले में यह हमारे लिए सबक है। अब किसी को भी राज्यसभा भेजने से पहले हम उनकी कड़ी जांच पड़ताल करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे सही हैं या नहीं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। अप्रैल में आप के सात सांसदों ने पार्टी से अलग होकर भाजपा में विलय कर लिया था। राघव चड्ढा के अलावा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी, स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता का नाम इसमें शामिल था। इस टूट से पहले भारत के उच्च सदन में आप के सांसदों की संख्या 10 थी, लेकिन दो तिहाई से ज्यादा सदस्यों के अलग होने के बाद महज 3 बचे हैं, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

हाल ही में आप और राघव चड्ढा के बीच उनके मतदाता सूची में नाम कटने को लेकर जमकर विवाद भी देखने को मिला था। दरअसल, पंजाब में एसआईआर (समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स) प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची से चड्ढा का नाम कट गया था, जिसके आरोप उन्होंने आप सरकार पर लगाए थे। चड्ढा ने कहा था, पंजाब की आप सरकार अब बदले की राजनीति को मसौदा मतदाता सूची तक ले आई है। मैं पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सदस्य हूं और मेरा मतदाता पहचान पत्र पंजाब के मोहाली में पंजीकृत है। इसके बावजूद मसौदा मतदाता सूची में मेरे नाम के आगे स्थानांतरित लिखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि आप सरकार के अधिकारियों ने ही उनके नाम को स्थानांतरित के तौर पर चिह्नित और सत्यापित किया।इस पर आप ने जवाब देते हुए कहा था, यह सार्वजनिक जानकारी है कि राघव चड्ढा दिल्ली में रह रहे हैं, पंजाब में नहीं। अगर वह अब पंजाब में नहीं रहते हैं तो अपने मतदाता पंजीकरण को बनाए रखना या उसे दूसरी जगह स्थानांतरित करवाना उनकी अपनी जिम्मेदारी थी।

पीके की मुसलमानों को सलाह– किसी पार्टी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं

-बांकीपुर में अल्पसंख्यक सम्मेलन में बोले प्रशांत किशोर- राजनीति में उचित हिस्सेदारी के लिए समुदाय को खुद संघर्ष करना चाहिए

पटना, एजेंसी।
जन सुराज पार्टी के प्रमुख और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुसलमानों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए खुद पहल करने की अपील की है। रविवार को पटना के मुस्लिम बहुल सब्जीबाग इलाके में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को किसी भी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनने के बजाय राजनीति में अपनी उचित हिस्सेदारी के लिए स्वयं संघर्ष करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने हाल के बांकीपुर उपचुनाव में मुस्लिम समुदाय के

समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि अब अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश होनी चाहिए, जिसमें उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए और खुद को हितैषी बताने वाले नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए।

बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल की ओर माना जाता रहा है। हालांकि, बांकीपुर उपचुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों से जन सुराज के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान होने की चर्चा रही है।

बांकीपुर में पहली बार जीती जन सुराज

बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज की जीत को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा लड़ा गया पहला चुनाव था, जिसमें उसे जीत मिली। बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। इससे पहले भाजपा के नितिन नवीन इस सीट से विधायक थे। उनके राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर विजयी रहे।

सहारा रिफंड पोर्टल फिर सक्रिय- फंसे पैसे के लिए इस तरह से करे ऑनलाइन आवेदन

–जान लें क्या हैं जरूरी दस्तावेज

नई दिल्ली,, एजेंसी।
उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिनका पैसा सहारा समूह की विभिन्न योजनाओं में फंसा हुआ है। केंद्र ने सहारा रिफंड पोर्टल को फिर सक्रिय कर दिया है, जिससे करीब 20 लाख लंबित दावों की जांच प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। इसके साथ ही, अब अन्य पात्र जमाकर्ता भी अपना पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका भी पैसा सहारा में अटका हुआ है, तब ये खबर आपको घर बैठे क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देगा।

केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पोर्टल के माध्यम से अब तक करीब 42 लाख जमाकर्ताओं को 9,267 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक लौटाई गई। यह पोर्टल मुख्य रूप से सहारा समूह की चार प्रमुख सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पात्र निवेशकों को ही रिफंड दिलाने के लिए बनाया गया है।

ऑनलाइन क्लेम दर्ज होने के बाद, सत्यापन की व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू होगी। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज निवेशकों के दावों और संलग्न दस्तावेजों की 30 दिनों के भीतर गहन स्क्रूटनी करेगी। इस प्रारंभिक जांच के बाद, अगले 15 दिनों में सरकारी तंत्र द्वारा अंतिम मंजूरी मिलेगी। इस तरह, आपके आवेदन की तारीख से कुल 45 दिनों के अंदर आपके दावे की स्थिति के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। यदि दावा सही साबित और स्वीकृत होता है, तब धनराशि सीधे निवेशक के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे।

रिफंड फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब से बचने के लिए, सभी आवश्यक दस्तावेजों को पहले से स्कैन करके तैयार रखना जरुरी है। क्लेम के लिए निवेशक का आधार कार्ड, आधार से लिंक एक सक्रिय मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, सहारा सोसाइटी में पैसा जमा करते समय प्राप्त हुई मूल रसीद, पासबुक की प्रति या निवेश प्रमाण पत्र (जैसे बॉन्ड) आदि भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। दस्तावेजों में दर्ज सदस्यता संख्या, अकाउंट नंबर और जमाकर्ता का नाम, उसके आधार कार्ड

से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। यदि मूल जमाकर्ता का निधन हो चुका है, तब कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को अपने संबंधित कानूनी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नाम या बैंक विवरण में किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति आपके रिफंड को रोक सकती है, इसलिए पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने से पहले अपने सभी कागजात और विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें।

कार्यालय ग्राम पंचायत छपना विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत छपना विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत छपना
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, छपना
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्दनपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चन्दनपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चन्दनपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, चन्दनपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत तरौली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तरौली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत तरौली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, तरौली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मटीपुरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मटीपुरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मटीपुरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, मटीपुरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत हैदलपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हैदलपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत हैदलपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, हैदलपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बिहारीपुर एतमाली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बिहारीपुर एतमाली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बिहारीपुर एतमाली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, बिहारीपुर एतमाली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत दौरारा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दौरारा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत दौरारा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, दौरारा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत खेलिया पट्टी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खेलिया पट्टी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत खेलिया पट्टी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, खेलिया पट्टी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत खेलिया खालसा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खेलिया खालसा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत खेलिया खालसा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, खेलिया खालसा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत ओगपुरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ओगपुरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत ओगपुरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, ओगपुरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत खुर्तियां विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खुर्तियां विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत खुर्तियां
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, खुर्तियां
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बांसका कलां विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बांसका कलां विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बांसका कलां
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, बांसका कलां
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बांसका खुर्द विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बांसका खुर्द विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बांसका खुर्द
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, बांसका खुर्द
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बांसका मदारीपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बांसका मदारीपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बांसका मदारीपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, बांसका मदारीपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत सुतावली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सुतावली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सुतावली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, सुतावली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत वरतोरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वरतोरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत वरतोरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, वरतोरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

संपादकीय

मां बोली भरे झोली

भारतीय नौनिहालों की बड़ी विडंबना है कि वे जब इस दुनिया में आंख खोलते हैं तो मां बोली से उनका परिचय होता है। घर में मां प्यार से जिस भाषा में बच्चे से लाड़ करती है और स्नेह उंडेलती है, वह उस बच्चे की मां बोली होती है। वह पंजाबी भी हो सकती है या तमिल आदि भी। उस भाषा में उसके पुरखों की सदियों से संरक्षित विरासत होती है। उसके रक्त में उसके प्रति सम्मोहन होता है। बच्चा बड़ा होता है तो आस-पड़ोस के बच्चों से उसका हिंदी या राज्य की भाषा में संवाद होता है। उसके लिए यह नई भाषा होती है। उसमें मां बोली जैसी सहजता और सरलता नहीं होती, लेकिन वह उसे सीखता है। दोस्तों के बीच खुद को अभिव्यक्त करता है। फिर स्कूल पहुंचता है तो उसे हिंदी के बाद अंग्रेजी से रूबरू होना पड़ता है। जाहिर है, यह वह भाषा होती है जो आमतौर पर उसके मां-बाप या दादा-दादी नहीं बोलते। लेकिन उस पर उसे सीखने और बोलने का दबाव होता है। अपनी जिस ऊर्जा को बच्चा सीखने और नया ज्ञान खोजने में लगा सकता है, उसे अपनी सारी ऊर्जा भाषायी जंजाल से उबरने में लगानी पड़ती है। यदि बच्चा अपनी मां बोली या हिंदी में अपनी पढ़ाई करता तो उसकी वास्तविक ऊर्जा और समय नया ज्ञान अर्जित करने में लगते। निश्चय ही यह भाषायी व्यवधान उसकी नैसर्गिक विकास गति को प्रभावित करते हैं। क्या कभी भाषा पर राजनीति करने वाले राजनेताओं ने बच्चों की इस समस्या पर संवेदनशील ढंग से विचार किया है?

गंभीर और शोचनीय स्थिति यह है कि जब बच्चा गांव से पढ़कर उच्च शिक्षा के लिए शहर जाता है तो यह भाषायी अवरोध उसकी प्रगति को बाधित करता है। निस्संदेह, गांव से आने वाला बच्चा फरार्टेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकता। समाज की आर्थिक विषमता ने शिक्षा व्यवस्था में भी गहरा विभाजन पैदा किया है। एक तरफ पांच सितारा पब्लिक स्कूल हैं, जिन्हें समाज के धनाढ्य लोगों द्वारा राजनीतिक संरक्षण में संचालित किया जाता है। वहां सोने-चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चों को दाखिला मिलता है। दाखिला लेना उनकी अपनी नहीं, बल्कि उनके माता-पिता की योग्यता होती है, क्योंकि वे मोटी फीस भरते हैं। इस भेड़चाल में मध्यवर्गीय लोगों के बच्चे भी शामिल होते हैं, लेकिन अपने माता-पिता के नौकरी में खटने और कर्ज लेने की कीमत पर। इसमें गांव के उस कुशाग्र बुद्धि के बच्चे का क्या कसूर है, जिसे इन पांच सितारा स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिल सका? उसके मां-बाप इतना पैसा नहीं दे सके। फिर यह विभाजन आगे चलकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नजर आता है। अंग्रेजीदां अधिकारियों की प्राथमिकता अक्सर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े छात्र ही होते हैं।

चिंतन-मनन

जहाँ शांति है वही सुख

यदि हमारे पास दुनिया का पूरा वैभव और सुख-साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो हम भी आम आदमी की तरह ही हैं। संसार में मनुष्यों द्वारा जितने भी कार्य अथवा उद्यम किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है शांति। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि शांति क्या है? शांति का केवल अर्थ यह नहीं कि केवल मुख से चुप रहें अपितु मन का चुप रहना ही सच्ची सुख-शांति का आधार है। कहते हैं कि जहाँ शांति है वहाँ सुख है। अर्थात सुख का शांति से गहरा नाता है। लड़ाई, दुख और लालच को भंग करने के लिए शांति सशक्त औजार है। कई लोग कहते हैं कि बिना इसके शांति नहीं हो सकती। इसके साथ ही भौतिक सुख-साधनों तथा अन्य संसाधनों से शांति होगी यह कहना भी गलत है। यदि इससे ही शांति हो जाती तो हम मंदिर आदि के चक्कर नहीं लगाते। धन-दौलत और संपदा से संसाधन खरीदे जा सकते हैं परंतु शांति नहीं। हम यही सोचते रह जाते हैं कि यह कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी। आवश्यकताओं को पूरा करते-करते पूरा समय निकल जाता है और न तो शांति मिलती है और न ही खुशी। खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए जरूरी है कि पहले शांति रहे। जहाँ शांति है वहाँ विकास है। जहाँ विकास है वहाँ सुख है। इसलिए अमूल्य शांति के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा। अपने बारे में जानना होगा। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और हमारे अंदर कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं जो हम अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। शांति का सागर परमात्मा है। हम आत्माएँ परमात्मा की संतान हैं। जब हमारे अंदर शांति आएगी तो हमारा विकास होगा। जब विकास होगा तो वहाँ सुख का साम्राज्य होगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल सरल और सहज है जिसके जरिए हम यह जान और पहचान सकते हैं। वर्तमान समय अशांति और दुख के भयानक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने धर्म और शाश्वत सत्य को स्वीकारते हुए शांति के सागर परमात्मा से अपने तार जोड़ें। ताकि हमारे भीतर शांति का खजाना मिले। इससे हमारे अंदर शांति तो आएगी ही साथ ही हम दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकेंगे।

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552

महंगाई और कर्ज की मार से आम आदमी हलाकान

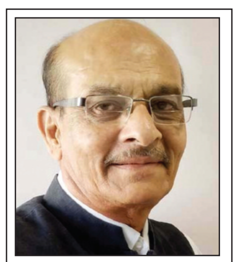

सनत जैन

भारत में कर्ज और महंगाई की मार से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। इसमें कोई राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। उल्टे महंगा कर्ज और ईएमआई बढ़ने से आम आदमी बहुत परेशान हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया आने वाले समय में रेपो रेट और भी बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ने का असर सबसे ज्यादा आम आदमियों की ईएमआई और कर्ज के रूप में पड़ेगा। आम आदमी के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नियमित खर्चे के लिए उसे कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। महंगाई हर महीने बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। लगता है आम आदमी को कारोबारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। बाजार में मुनाफाखोरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार जनवरी 2026 तक 22 वस्तुओं तक महंगाई सीमित थी अब वह बढ़कर 53 वस्तुओं पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक की लागत बढ़ने से इनकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आइल की कीमत बढ़ने से इसका असर हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ने के तौर पर हो रहा है। हाल ही में खाडी देशों के तीनों मार्गो से जहाजों की आवाजाही बंद है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हुती हमले के बाद स्थितियां और भी नाजुक होती चली जा रही हैं। महंगाई, कर्ज और बेरोजगारी के साथ-साथ अब आर्थिक मंदी का संकट भी बड़ी तेजी के साथ गहरा रहा है। इसका असर वैश्विक स्तर पर हो रहा है। भारत में जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सरकार मुनाफाखोरी और महंगाई को रोकने की दिशा में ऐसा कोई प्रयास करती हुई नहीं दिख रही है, जिससे ऐसा लगे कि सरकार को आम आदमी की चिंता है। जिसके कारण अब आम जनता में तनाव भी देखने को मिल रहा है। भारत में पिछले वर्षों में कर्ज लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ बड़ी है। आम आदमी के ऊपर ब्याज और ईएमआई का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक की रेपो रेट को बढ़ाने से इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग पर बड़े पैमाने पर होगा। महंगाई के कारण आम आदमी अपने रोजाना के खाने-पीने के खर्च और शिक्षा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है। महंगाई के कारण किचन में तेल और जरूरी सामान कम होते चले जा रहे हैं। बच्चों को पोषण आहार भी नहीं मिल पा रहा है।

लोगों को लगता था सरकार महंगाई और मुनाफाखोरी पर नियंत्रण करेगी, लेकिन नियंत्रण के स्थान पर जिस तरह से कीमत बढ़ रही है और ब्याज दर भी बढ़ती चली जा रही है। ईएमआई में डिफॉल्ट होने के कारण एनबीएफसी कंपनियों और बैंकों द्वारा मनमाना ब्याज और जुमार्ना वसूल किया जा रहा है। जिसके कारण आम आदमी की नाराजी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार को समय रहते इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरीके से लोग परेशान हैं, महंगाई के कारण रोजाना तनाव मे जीना पड़ रहा है। जरूरी खर्च के लिए अब उसे कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। महंगाई और मुनाफाखोरी दोनों पर ही समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो हालत बद से बदतर हो सकते हैं। जिस तरह के हालात 1975 में बने थे। इस तरह के हालात अब बनते हुए दिख रहे हैं। जिन्होंने आपातकाल के पहले की महंगाई और मुनाफाखोरी को देखा है। उस समय के लोगों का कहना है, वर्तमान हालात उससे भी खराब हैं। स्थितियां अभी भी नियंत्रण में नहीं है। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 120 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई को काबू में कर पाना सरकार के लिए और भी मुश्किल होगा। बेरोजगारी और काम नहीं होने के कारण आम आदमी की हालत वैसे ही खराब है। महंगाई ने जीना पूरी तरह से हराम कर दिया है। छोटे बच्चों को अब दूध भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है।

बेटियों के सपनों की राह में अब भय नहीं सुरक्षा और सम्मान का भरोसा

कांतिलाल मांडोत

महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सभ्य और विकसित समाज की पहली पहचान होती है। जिस समाज में बेटी बिना भय के विद्यालय जा सके, युवती अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल सके और कामकाजी महिला देर तक अपने कार्यस्थल पर रहकर भी सुरक्षित घर लौट सके, वही समाज वास्तविक अर्थों में प्रगति की ओर बढ़ता है। वाराणसी के पिंडरा में आयोजित कामकाजी महिला सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर दिया गया संदेश इसी व्यापक सोच को सामने रखता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए जेल या जहन्नुम, दो ही जगह हैं। यह केवल राजनीतिक भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति अपराध के विरुद्ध सरकार की कठोर नीति का संकेत भी है।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा बड़ी चुनौती रही है। आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों और कस्बों में रहता है, जहां बेटियों की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कई बार सामाजिक सोच और सुरक्षा की चिंता से प्रभावित होती है। लंबे समय तक परिवारों के सामने यह प्रश्न रहा कि बेटी को पढ़ने के लिए दूर भेजें या नहीं, उसे प्रशिक्षण दिलाएं या नहीं, नौकरी करने दें या नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इसी मनोवैज्ञानिक भय को रेखांकित किया। उनका कहना था कि जब परिवार को बेटी की सुरक्षा का भरोसा नहीं होता तो सबसे पहले उसके सपनों पर रोक लगती है।

महिला सुरक्षा का अर्थ केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ ऐसा वातावरण बनाना है, जिसमें अपराध करने की मानसिकता पैदा होने से पहले ही कानून का भय दिखाई दे। छेड़छाड़, पीछा करना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म और अन्य अपराधों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तभी सार्थक होती है, जब पीड़िता को शिकायत करने में संकोच न हो और उसे यह विश्वास हो कि व्यवस्था उसके साथ खड़ी है। कठोर कानून के साथ संवेदनशील पुलिस व्यवस्था, त्वरित सुनवाई और पीड़ित महिला को सामाजिक तथा कानूनी सहायता भी सुरक्षा के इसी तंत्र का हिस्सा हैं।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले वर्षों में जिस बदलाव की चर्चा होती रही है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अपराध और अपराधी के बीच फर्क करते हुए संगठित अपराध तथा माफिया तंत्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई को शासन की प्राथमिकता बनाया गया। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में कहा कि सरकार वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने नहीं झुकती। राजनीति से अलग हटकर देखा जाए तो कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब अपराधी की पहचान उसके प्रभाव, धन या राजनीतिक पहुंच से नहीं, बल्कि उसके कृत्य से तय हो। महिलाओं के मामले में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रभावशाली अपराधी के खिलाफ कार्रवाई का अभाव समाज में भय और अपराधी के मन में दुस्साहस पैदा करता है।

महिलाओं की सुरक्षा को केवल पुलिस और कानून व्यवस्था का विषय मानना भी अधूरा दृष्टिकोण होगा। सुरक्षा का संबंध महिला के पूरे जीवन से जुड़ा है। घर में शौचालय की सुविधा से लेकर विद्यालय तक सुरक्षित पहुंच, सार्वजनिक परिवहन से लेकर कार्यस्थल तक सुरक्षित वातावरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से लेकर सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच, ये सभी महिला सशक्तीकरण के आधार हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए बताया कि परिवारों को बेटी की सुरक्षा, घर में शौचालय, इलाज के खर्च और आमदनी जैसी अनेक चिंताएं परेशान करती थीं। आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी मूलभूत समस्याओं को दूर करना भी सुरक्षा के व्यापक अर्थ में शामिल किया जाना चाहिए।

बेटी की सुरक्षा का सबसे बड़ा परिणाम उसके सपनों की स्वतंत्रता में दिखाई देता है। यदि एक लड़की को यह भरोसा हो कि विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र या नौकरी तक जाने के रास्ते में उसके साथ कानून खड़ा है तो उसके आत्मविश्वास में स्वाभाविक वृद्धि होती है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में भागीदारी बढ़ाता है। इसलिए महिला सुरक्षा को केवल अपराध के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि कितनी बेटियां बिना भय के अपनी पसंद की शिक्षा और रोजगार चुन पा रही हैं।

कामकाजी महिलाओं के सम्मान समारोह का संदेश भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। महिला जब परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है तो वह केवल अपनी आय नहीं बढ़ाती, बल्कि परिवार और समाज की आर्थिक क्षमता को मजबूत करती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रोजगार शुरू करे, खेत और पशुपालन से आय बढ़ाए, छोटे व्यवसाय का संचालन करे या शहर में नौकरी करे, प्रत्येक स्थिति में सुरक्षित वातावरण उसकी सफलता की अनिवार्य शर्त है। महिला को अवसर देना और अवसर तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ का प्रसंग भी महिला और बेटी के प्रश्न को एक दूसरे आयाम से जोड़ता है। पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा को अलग-अलग विषय समझना उचित नहीं है। कुपोषण से जूझती किशोरी, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित गर्भवती महिला या आर्थिक कठिनाइयों से परेशान परिवार की बेटी के सपनों की राह स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाती है। इसलिए महिला सशक्तीकरण की नीति में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को एक साथ देखना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में अग्रणी राज्यों में पहुंचाने की चर्चा के बीच महिला भागीदारी को भी केंद्र में रखना होगा। किसी प्रदेश की आर्थिक ताकत केवल उद्योगों और निवेश से नहीं बढ़ती, बल्कि तब बढ़ती है जब उसकी आधी आबादी शिक्षा, रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में पूरी क्षमता से योगदान देती है। महिला सुरक्षित होगी तो वह घर की चारदीवारी से बाहर निकलेगी, शिक्षा हासिल करेगी, रोजगार चुनेगी और आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ाएगी। इसलिए महिला सुरक्षा वास्तव में आर्थिक विकास की बुनियादी शर्त भी है।

मुख्यमंत्री का यह संदेश कि अपराधियों को कठोर परिणाम भुगतना होगा, समाज के लिए तभी प्रभावी बनेगा जब इसके साथ महिलाओं में विश्वास भी लगातार मजबूत किया जाए। कानून का भय अपराधी के लिए और व्यवस्था पर भरोसा पीड़िता के लिए, दोनों समान रूप से जरूरी हैं। बेटियों को यह महसूस होना चाहिए कि शिकायत करने पर उनकी आवाज सुनी जाएगी और महिलाओं को यह विश्वास होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान उनका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक का।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब किसी पिता को बेटी को स्कूल भेजते समय भय न हो, किसी मां को काम से लौटती बेटी की चिंता न सताए और किसी युवती को अपने करियर का चुनाव सुरक्षा के सवाल से समझौता कर-के न करना पड़े। सरकार की योजनाओं का अंतिम उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि सुरक्षा कागज पर दर्ज व्यवस्था न रहकर आम महिला के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बने। महिलाओं की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में दिया गया संदेश इसी व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। अपराधी के लिए कठोरता और महिला के लिए सम्मान, दोनों साथ चलें तो कानून व्यवस्था का अर्थ सार्थक होता है। बेटियों के सपनों पर पहरा नहीं, उन्हें उड़ान देने वाला वातावरण चाहिए। जब प्रदेश की बेटियां बिना भय के पढ़ेंगी, काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी और अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास हासिल करेंगी, तभी विकास की तस्वीर पूरी होगी। महिला सुरक्षा इसलिए केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक प्रतिबद्धता है।

शांति, स्वतंत्रता और समानता का बुनियादी स्तंभ है लोकतंत्र

लोकतंत्र केवल मतपत्र पर लगाई गई मुहर का नाम नहीं है। यह उस विश्वास का नाम है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज, अपनी गरिमा और अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र-निर्माण में सहभागी होने का अवसर मिलता है। एक तरह से शांति, स्वतंत्रता, समानता एवं सह-जीवन का बुनियादी स्तंभ है लोकतंत्र। हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसी लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिवस की स्थापना की थी और 2008 से इसका आयोजन हो रहा है। 2026 में अंतर-संसदीय संघ-आईपीयू ने लोकतंत्र दिवस के लिए ह्लमानवाधिकारों को केंद्र में लाएंह्व को प्रमुख विषय बनाया है। इसका संदेश स्पष्ट है कि मानवाधिकार लोकतंत्र के सजावटी तत्व नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी शर्त हैं। मानवाधिकार सुरक्षित नहीं हैं तो चुनाव, संसद और संविधान की मौजूदगी के बावजूद लोकतंत्र अधूरा रहेगा।

आज दुनिया के सामने लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या लोकतंत्र केवल संस्थागत ढांचे के रूप में जीवित है या उसके भीतर नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संवाद और मानवीय गरिमा भी सुरक्षित हैं? संयुक्त राष्ट्र भी 2026 में लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित न मानते हुए मानवाधिकार, कानून के शासन और नागरिकों की सार्थक भागीदारी को उसकी अनिवार्य आत्मा मान रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सत्ता का अंतिम स्त्रोत जनता होती है। लेकिन इसकी कमजोरी भी यहीं से शुरू होती है। जब जनता अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जब चुनाव जाति, धर्म, क्षेत्र, धनबल, बाहुबल या झूठे प्रचार के प्रभाव में आने लगते हैं, तब लोकतंत्र का बाहरी ढांचा तो बचा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है।

आज दुनिया के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। राजनीतिक ध्रूवीकरण बढ़ रहा है, संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर दबाव दिखाई देता है तथा सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कई समाजों में चिंता का कारण बन रही है। लोकतंत्र के नाम पर चुनाव हो जाना पर्याप्त नहीं है। यदि चुनाव के बाद नागरिकों की आवाज को महत्व न मिले, विपक्ष को शत्रु समझा जाए, मीडिया स्वतंत्र न रहे, न्यायपालिका पर दबाव हो और सत्ता जवाबदेही से मुक्त होने लगे, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे बहुमत की निरंकुशता में बदल सकता है। महात्मा गांधी का लोकतंत्र संबंधी चिंतन आज भी इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था- ह्लमेरे विचार में लोकतंत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति को वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मिलता है ह्व गांधी के लिए लोकतंत्र केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं था, बल्कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था था। वे लोकतंत्र को अहिंसा, अनुशासन, आत्मसंयम और नागरिक चेतना से जोड़ते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि लोकतंत्र हिंसा और असत्य के सहारे कायम नहीं रह सकता।

विंस्टन चर्चिल का प्रसिद्ध कथन भी लोकतंत्र की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता हैकृ ह्ललोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणाली है, उन सभी प्रणालियों को छोड़कर जिन्हें आजमाया जा चुका है ह्व यह कथन लोकतंत्र की कमियों को स्वीकार करते हुए भी उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित करता है। लोकतंत्र पूर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसमें आत्म-सुधार की क्षमता है। जनता सरकार को चुन सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है-सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। जहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा, क्रांति या रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ती और मतदाता अपनी इच्छा से सरकार बदल सकता है, वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक हैं।

आज लोकतंत्र के सामने एक नई और जटिल चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और डिजिटल तकनीक के रूप में भी सामने आई है। तकनीक लोकतंत्र को अधिक सहभागी और पारदर्शी बना सकती है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, नागरिक शिकायतों के समाधान, नीति-निर्माण में आंकड़ों के उपयोग और जनता की राय को शासन तक पहुंचाने में एआई उपयोगी हो सकता है। लेकिन यही तकनीक गलत सूचना, डीपफेक, लक्षित दुष्प्रचार, हेट स्पीच और जनमत को प्रभावित करने का माध्यम भी बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी एआई की इन संभावनाओं और जोखिमों के बीच संतुलन तथा उसके जिम्मेदार शासन की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए लोकतंत्र का डिजिटल भविष्य केवल तकनीकी क्षमता से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि तकनीक के पीछे मानवीय विवेक कितना मजबूत है। एआई लोकतंत्र का विकल्प नहीं, लोकतांत्रिक विवेक का सहायक होना चाहिए। तकनीक नागरिक को नियंत्रित करने का उपकरण नहीं, नागरिक को सशक्त करने का माध्यम बने-यही लोकतांत्रिक तकनीकी संस्कृति की कसौटी होनी चाहिए।

लोकतंत्र की दूसरी बड़ी आवश्यकता है संवाद की संस्कृति। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। सरकार से प्रश्न पूछना राष्ट्र-विरोध नहीं; विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र-विरोध नहीं; मीडिया द्वारा सत्ता से जवाब मांगना व्यवस्था-विरोध नहीं। बल्कि यही लोकतंत्र की जीवंतता के प्रमाण हैं। जब असहमति को दबाया जाता है, तब लोकतंत्र का संवाद समाप्त होता है और उसके स्थान पर भय जन्म लेता है। इसीलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र जरूरी है। जो राजनीतिक संगठन अपने भीतर विचार-विमर्श, पारदर्शिता और नेतृत्व परिवर्तन की स्वस्थ परंपरा नहीं रखते, वे व्यापक समाज में लोकतांत्रिक संस्कार कैसे विकसित कर सकते हैं? लोकतंत्र की शुरूआत संसद से पहले राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के भीतर होनी चाहिए। साथ ही लोकतंत्र को केवल राष्ट्रीय सत्ता तक सीमित रखना भी उचित नहीं। पंचायत, नगर निकाय और स्थानीय संस्थाएं लोकतंत्र की वास्तविक पाठशाला हैं। जिस लोकतंत्र में गांव का नागरिक अपने स्थानीय निर्णयों में सहभागी नहीं है, उसमें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण अधूरा है। गांधी का ग्राम स्वराज इसी व्यापक लोकतांत्रिक दृष्टि का प्रतीक था-सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर हो।

लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को भी यह समझना होगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। मतदान करना ही नागरिकता की पूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। सही सूचना प्राप्त करना, संविधान और कानून का सम्मान करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और गलत नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना भी नागरिक धर्म है। अंततः लोकतंत्र कोई तैयार होकर मिल जाने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि निरंतर साधना है। उसे हर पीढ़ी को अपने आचरण, संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मजबूत करना पड़ता है। लोकतंत्र तभी सार्थक है जब सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो, संस्थाएं स्वतंत्र हों, मानवाधिकार सुरक्षित हों, कमजोर को न्याय मिले, असहमति का सम्मान हो और नागरिकों को यह विश्वास हो कि शासन वास्तव में उनके कल्याण के लिए है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विविधता और जनभागीदारी का अद्भुत उदाहरण है। विशाल जनसंख्या, भाषाई-सांस्कृतिक विविधता और अनेक राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद भारत ने संविधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरंतर मजबूत किया है। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, जीवंत संसद, सक्रिय मीडिया और मजबूत नागरिक समाज इसकी लोकतांत्रिक शक्ति के प्रमुख आधार हैं। भारत का लोकतंत्र यह संदेश देता है कि विविधता विभाजन नहीं, शक्ति बन सकती है। इसकी वास्तविक मजबूती तभी कायम रहेगी, जब नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्य, सहिष्णुता, संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था को भी सर्वोच्च महत्व दिया जाए।

कार्यालय ग्राम पंचायत नांनई लिसड़ा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नांनई लिसड़ा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत नांनई लिसड़ा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, नांनई लिसड़ा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत दुल्हेपुर अहीर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दुल्हेपुर अहीर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत दुल्हेपुर अहीर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, दुल्हेपुर अहीर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चंदन कोटा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चंदन कोटा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चंदन कोटा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, चंदन कोटा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत दरियापुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दरियापुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत दरियापुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, दरियापुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत ढवारसी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढवारसी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत ढवारसी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, ढवारसी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पांडली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पांडली विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पांडली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, पांडली
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत रहरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रहरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत रहरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, रहरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत साथंलपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत साथंलपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईंट रोड़ी	घन मी0	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत साथंलपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, साथंलपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

डिडौली क्षेत्र में गर्भवती महिला व पति से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

डिडौली/अमरोहा (सब का सपना):- कार सवार दबंगों द्वारा बाइक सवार गर्भवती महिला व उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कस्बा जोया निवासी गांव कनपुरा के मोहम्मद दानिश अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। आरोप है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो सवार युवकों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया और बिना कारण गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते आरोपियों ने पति-पत्नी के साथ मारपीट व अभद्रता की, जिसमें गर्भवती महिला को भी चोटें आई हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए बोलेरो में सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित ने डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने 48 घंटे में किया हत्या का खुलासा, बड़े भाई ने ही 6 लाख में कराई थी भाई की हत्या

आदमपुर/अमरोहा (सब का सपना):- पुलिस ने हत्या की घटना का 48 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। आपको बता दे कि जनपद के थाना आदमपुर में रूपराम पुत्र भोजराज निवासी ग्राम कोकापुर की मढ़ैया ने थाना आदमपुर पर सूचना दी कि उनके पुत्र जोगेन्द्र कुमार को शाम करीब 8 बजे ब्रजपाल पुत्र बाबू, वीरपाल पुत्र चेतराम व तेजपाल पुत्र बुद्धन निवासी ग्राम दरियापुर तुगन घर से बुलाकर मोटरसाइकिल से ले गए थे। अगले दिन जोगेन्द्र का शव ग्राम औंगारपुर में डॉ. राजेन्द्र नागर के खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वॉड व उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रकरण में थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 187/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों व वैज्ञानिक जांच के आधार पर घटना का खुलासा किया। जाँच में सामने आया कि मृतक जोगेन्द्र कुमार शराब पीने का आदी था, शराब पीकर अपनी जमीन बेचना चाहता था और परिवार से लड़ाई-झगड़ा करता था। इससे परेशान होकर उसके बड़े भाई ऋषिपाल पुत्र रूपराम ने 6 लाख रुपये का लालच देकर ब्रजपाल, वीरपाल व तेजपाल से अपने ही भाई की हत्या करा दी। आरोपियों ने हत्या कर शव को खेत में छिपा दिया था। पुलिस ने ब्रजपाल पुत्र बाबू, वीरपाल पुत्र चेतराम, तेजपाल पुत्र बुद्धन के विरुद्ध धारा 103(1)/238(1)/61(2) बीएनएस तथा ऋषिपाल पुत्र रूपराम के विरुद्ध धारा 103(1)/61(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही थी।

बाल विवाह के खिलाफ छात्रों को किया जागरूक, शिक्षकों को प्रशस्तिपत्र देकर किया सम्मानित

सम्भल(सब का सपना):- जनपद के कायनात इंटरनेशनल स्कूल, संभल में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाई गई। वहीं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रयन्त संस्था सम्भल की ओर से विद्यालय

के शिक्षकों को प्रशस्तिपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिक्षकों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और बच्चों एवं समाज को जागरूक करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों और समाज के लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में सभी की सहभागिता बढ़ाना रहा। इस दौरान संस्था सम्भल के फील्ड कोऑर्डिनेटर शिराज अहमद, प्रधानाध्यापक मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर ख्वाजा मोहम्मद फहीम, सबीहा गालिब, अयाज अहमद, शाहजेब अख्तर, महक तस्दिक, हम्मे हानी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

द आर्यन्स में विद्यार्थियों ने धूमधाम से मनाया गणेश चतुर्थी का उत्सव

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के अग्रणी शिक्षण संस्थान द आर्यन्स, जोया में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा, उल्लास एवं भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में भगवान गणेश बने हुए बच्चे की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने गणपति बप्पा का पूजन कर सभी के सुख, समृद्धि एवं सफलता की कामना की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से गणेश जी की वेशभूषा में सजे कक्षा 2 से काव्यांश,रान्या शौर्य, मनस्वी,

मिसा,पृथ्वी और आन्या चौधरी आदि विद्यार्थियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आदेश सिंह ने विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी के महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि भगवान गणेश ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं शुभारंभ के प्रतीक हैं। यह पर्व हमें सकारात्मक सोच, विनम्रता और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक चौधरी हरपाल सिंह एवं अनिल कुमार सिंह, निदेशक अमन लिट्ट एवं गौरव चौधरी ने सयुंक्त रूप से सभी विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भारतीय पर्व एवं त्योहार विद्यार्थियों को अपनी समृद्ध संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में आदिति कश्यप मोहिनी वर्मा विपिन सैनी गतिविधि प्रभारी जागृति कौशिक, चांदनी बत्रा, शिवानी सिद्धू, ममता वर्मा एवं सरिता वर्मा आदि समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का सराहनीय सहयोग रहा।

संभल को चाहिए बेहतर शिक्षा ,सवास्थ और रोजगार के अवसर:- आतिर हुसैन

संभल(सब का सपना):- आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता आतिर हुसैन ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष आगामी विधानसभा चुनाव संभल विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह संभल से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने के लिए राजनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। आतिर हुसैन ने कहा कि उनकी राजनीतिक पहचान किसी राजनीतिक विरासत या परिवारवाद की देन नहीं है। उन्होंने कहा कि संभल आज भी कई बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। शहर में बेहतर बस अड्डे की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है, वहीं रेलवे लाइन की मांग भी अभी तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्होंने कहा कि संभल में एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधा की कल्पना करना भी फिलहाल दूर की बात है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताई। आतिर हुसैन ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए लोगों को संभल से बाहर जाना पड़ता है। इसी तरह अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों और युवाओं को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब यही बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल करने के बाद अपने शहर वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें रोजगार और अवसरों के बजाय बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कब तक संभल के बच्चों को अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संभल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि यहां के युवाओं को अपने भविष्य के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े।

ट्यूबवेल से स्टार्टर-केबल चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

असमोली/सम्भल(सब का सपना):- थाना क्षेत्र में ट्यूबवेलों से स्टार्टर और केबल चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए तीन स्टार्टर और दो केबल के टुकड़े बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार, 30 जुलाई को ग्राम भूड़ा बेगमपुर निवासी साहब सिंह पुत्र सुक्का सिंह ने थाना असमोली में तहरीरी सूचना दी थी कि अज्ञात

अभियुक्तों द्वारा उनके तथा पड़ोसी के ट्यूबवेल से स्टार्टर और केबल चोरी कर लिए गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की घटना में प्रकाश में आए आरोपियों सालिम पुत्र साबिर और आरिफ पुत्र नसीम अहमद को 13 सितंबर को ग्राम असमोली-भूड़ा बेगमपुर मार्ग पर बिजलीघर वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर तीन स्टार्टर और दो केबल के टुकड़े बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में जुटी है।

गंगा धाम तिगरी में अंतिम संस्कार में पहुंचे दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे,5 पांच घायल,एक की हालत गंभीर

गजरौला/अमरोहा (सब का सपना):- गंगा धाम तिगरी में अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों के दो पक्षों में कहासुनी के दौरान जमकर लाठी डंडे चल गए। इस दौरान पांच लोग घायल हो गए जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंगा घाट पर अचानक हुई इस मारपीट से गंगा घाट पर अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि यह पूरी घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फाजलपुर के लोग एक युवक की शव यात्रा के दौरान गंगा धाम तिगरी में उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहा सुनी हो गई ,देखते ही देखते कुछ देर बाद दोनों पक्ष लाठी डंडों के साथ आमने-सामने आ गए और विवाद

बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। गंगा घाट पर अचानक हुई इस मारपीट से वहां मौजूद अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। मारपीट के दौरान पांच लोग घायल हो गए इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल के कमरे में कैद कर लिया बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसमें दोनों पक्ष के लोग आपस में लाठी डंडों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद की वजह जानने की कोशिश की जा रही है साथ ही मारपीट में शामिल लोगों की पहचान के लिए वायरल वीडियो और मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस का कहना है की जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।घटना के बाद तिगरी गंगा धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए हैं।

दहेज और मारपीट के मामले में विवाहिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

नौगांवा सादात/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के नौका में सदा टी थाना क्षेत्र में दहेज एवं मारपीट से जुड़े मामले में थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि नौगावां सादात थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में दहेज की मांग, प्रताड़ना, छेड़छाड़ और मारपीट से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।पीड़िता ने मामले में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी मार्च 2026 में हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष से जुड़े विवाद को लेकर उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। प्रार्थना पत्र में दहेज की मांग और घरेलू विवाद से संबंधित बातें दर्ज कराई गई थीं।शिकायत में 30 अगस्त को मायके में कुछ लोगों के पहुंचने और विवाद के दौरान मारपीट किए जाने की बात भी कही गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े तथ्यों, शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम न्यायिक के पद पर रितु रानी ने किया पदभार ग्रहण, अधिवक्ताओं ने किया स्वागत

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के मंडी धनौरा में एसडीएम न्यायिक के पदभार की कमान नवनियुक्त रितु रानी ने अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने सोमवार को अपने आधिकारिक पदभार को ग्रहण किया। इस दौरान तहसील परिसर में खुशी का माहौल बना रहा। वहीं इस मौके पर तहसील परिसर में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं ने नए प्रशासनिक अधिकारी के आने पर उनका फूल मालाएं पहनाकर एवं पुष्प कुछ भेंट कर भव्य स्वागत किया। बता दें कि समारोह के दौरान बार एसोसिएशन मंडी धनौरा के अध्यक्ष संदीप गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायिक रीतू रानी का पुष्पगुच्छ और फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया।पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम न्यायिक रीतू रानी ने कहा कि न्यायपालिका और बार

एसोसिएशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी पहली प्राथमिकता वादकारियों को समय पर, पारदर्शी और आसान न्याय दिलाना होगी। तहसील स्तर पर लंबित न्यायिक मामलों को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल बनाकर आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा, ताकि आम लोगों को न्याय के लिए भटकना न पड़े।वहीं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने कहा कि नई एसडीएम न्यायिक रीतू रानी का धनौरा तहसील में बार एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच हमेशा सम्मानजनक और सकारात्मक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मैडम के कार्यकाल में न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और वादकारियों को आसान न्याय मिलेगा। बार एसोसिएशन न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रशासन को अपना पूरा सहयोग देगी।इस स्वागत समारोह के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप गुप्ता के साथ चौधरी अली रफी, विनोद कुमार शास्त्री, हितेश कुमार, मूलचंद त्यागी, भरत सिंह सैनी, शिवकुमार सैनी, जयप्रकाश सैनी, ओमवीर सैनी, हितेश टोनिया, अनिल शर्मा, आलोक भारती, राजीव सैनी, अशोक त्यागी, शाहनावाज सैफी, अनिल भटनागर, सर्वेश शर्मा, वरुण ढिल्लों, प्रदीप अग्रवाल, कपिल यादव, दिग्विजय सैनी, मुकेश सैनी, प्रदीप जाटव, तिलकराज चौहान, मुकेश चौहान, मूलचंद त्यागी, लखमीचंद, सिद्धार्थ यादव और कपिल अग्रवाल सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्याय पंचायत सिवौरा में मत्स्य पालन एवं बहुउद्देशीय समिति के गठन हेतु एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक दिनांक 16 सितंबर 2026 को ग्राम पूरनपुर, न्याय पंचायत सिवौरा, विकास खंड जोया स्थित पंचायत घर में प्रातः 11:00 बजे आयोजित होगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत शहबाजपुर ढोला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शहबाजपुर ढोला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शहबाजपुर ढोला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, शहबाजपुर ढोला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चकफेरी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चकफेरी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चकफेरी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, चकफेरी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत सिमथला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिमथला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सिमथला
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, सिमथला
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चचोरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चचोरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चचोरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, चचोरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मुबारिजपुर कला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुबारिजपुर कला विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मुबारिजपुर कला
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, मुबारिजपुर कला
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत देहरी खादर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत देहरी खादर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत देहरी खादर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, देहरी खादर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मरोरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मरोरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मरोरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, मरोरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत जीवपुर मुस्तकम विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जीवपुर मुस्तकम विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत जीवपुर मुस्तकम
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, जीवपुर मुस्तकम
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मलकपुर मुस्तकम विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मलकपुर मुस्तकम विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मलकपुर मुस्तकम
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, मलकपुर मुस्तकम
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

इंटर कॉलेज अस्करीपुर में लिपिक नियुक्ति पर उठे सवाल, जांच की मांग

नियमानुसार विज्ञापन व चयन प्रक्रिया नहीं अपनाने का आरोप, आजीवन सदस्य ने अधिकारियों को भेजा शिकायती पत्र

बिजनौर (सब का सपना):- जनपद के इंटर कॉलेज अस्करीपुर में लिपिक पद पर हुई नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज के आजीवन सदस्य जितेंद्र सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह ने प्रधानाचार्य इंद्रपाल यादव एवं प्रबंध समिति पर नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरतने तथा सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कॉलेज में लिपिक पद पर रोहित कुमार की नियुक्ति निर्धारित नियमों का पालन किए बिना की गई है। आरोप है कि नियुक्ति से पूर्व राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया गया और न ही किसी प्रकार की परीक्षा अथवा पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गई। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति में मोटी धनराशि के लेन-देन का भी आरोप लगाया है। जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज तथा जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनौर को शिकायती पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोपों की पुष्टि होने पर नियुक्ति निरस्त करने तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिक्षा संस्थान में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमसम्मत होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।

पटाखा फैक्ट्री की आड़ में बारूद का खेल, 1000 किलो विस्फोटक बरामद

सुतली बम के साथ 315 व 32 बोर के कारतूस मिले, फैक्ट्री सील

बिजनौर (सब का सपना):- पटाखा फैक्ट्री की आड़ में कथित रूप से बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री और कारतूस तैयार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिजनौर से सटे चौकपुरी गांव स्थित बजरंग फायर वर्क्स में पुलिस, राजस्व और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री से करीब 1000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सुतली बम तथा 315 और 32 बोर के निर्मित व अर्धनिर्मित कारतूस भी मिले हैं। मामले में नहटौर निवासी युसूफ उर्फ मुल्ला बारूद और गुफरान अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के सीयूजी नंबर पर चौकपुरी स्थित पटाखा फैक्ट्री को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अचानक फैक्ट्री पर छापा मारा। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री से 130 किलोग्राम एल्युमिनियम पाउडर और 548 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट समेत बड़ी मात्रा में कच्चा विस्फोटक माल बरामद हुआ। बताया गया कि कच्चा माल तमिलनाडु और महाराष्ट्र से खरीदा जाता था। इसके अलावा 39 कुंतल 59 किलोग्राम सुतली बम वाले पटाखे तथा 315 और 32 बोर के कुल 36 निर्मित व अर्धनिर्मित कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री के भंडारण की स्वीकृत क्षमता महज 50 किलोग्राम थी, जबकि छापेमारी में इससे कई गुना अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यदि किसी कारणवश ब्लास्ट हो जाता तो आसपास के क्षेत्र में गंभीर तबाही हो सकती थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी युसूफ उर्फ मुल्ला बारूद पिछले करीब तीन वर्षों से विस्फोटक तैयार करने के काम में सक्रिय था। पुलिस को उसके कथित रूप से मुंबई तक जुड़े तार भी मिले हैं। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और विस्फोटक सामग्री की खरीद-फरोख्त के पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है।छापेमारी के बाद पुलिस ने बजरंग फायर वर्क्स फैक्ट्री को सील कर दिया है। बरामद विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फैक्ट्री की आड़ में यह गतिविधियां कब से चल रही थीं और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

चौक बाजार में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से स्थापित हुई श्री गणेश प्रतिमा, प्रतिदिन होगी भव्य आरती

नजीबाबाद/बिजनौर (सब का सपना):- नगर के हृदय स्थल चौक बाजार में होली हवन कल्याण समिति के तत्वावधान में श्री गणपति उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ भगवान श्री गणेश की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना के दौरान पूरा मंडप गणपति बप्पा मोरया और जय देव, जय मंगल मूर्ति के जयकारों से गूंज उठा। मुख्य पुरोहित चेतन पंडित ने शास्त्रोक्त विधि से पूजन एवं प्रतिमा स्थापना का अनुष्ठान संपन्न कराया। मुख्य यजमान सीटू पंडित ने सपत्नीक पूजा-अर्चना कर भगवान गणेश से क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गणपति उत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि अमित अग्रवाल (टांडे वाले) तथा जापतागंज चौकी प्रभारी लव गिरी ने भी पहुंचकर बप्पा के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। अतिथियों ने समिति द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आयोजन को सफल बनाने में समिति के पदाधिकारियों दीपक शर्मा, राजीव ग्रोवर, अरुण शर्मा, श्रीकांत पाटिल, मयंक शर्मा, वंश शर्मा, महेंद्र वर्मा, चिंटू ग्रोवर, अंकित शर्मा और अंकित वर्मा का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, श्रद्धालुओं और प्रेस प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को मोदक एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि गणपति उत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम को भव्य आरती आयोजित की जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।

अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 वर्षीय बालिका की मौत, पिता समेत तीन घायल

नजीबाबाद/बिजनौर (सब का सपना):- मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव चौगांवा के निकट रविवार देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 10 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसके पिता समेत दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा निवासी अमीर हसन अपने बच्चों जीशान (10), मायरा (6) और बल्लो उर्फ अमरीन (10) के साथ बाइक से नजीबाबाद जा रहे थे। रात करीब हादसे के दौरान चौगांवा के पास पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी समीपुर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने बल्लो उर्फ अमरीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं अमीर हसन, जीशान और मायरा का उपचार चल रहा है। पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फरार वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो घायल, चालक वाहन समेत फरार

बहजोई/संभल(सब का सपना):- थाना क्षेत्र में सोमवार शाम आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर पजाया के पास पीछे से आ रहे पिकअप वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ला गोसिया नगर, मदीना मस्जिद के पास बहजोई निवासी जुनैद (42) पुत्र भूरे सोमवार शाम करीब 6:20 बजे अपने परिचित सोनू (23) पुत्र रफीक निवासी खुर्जा, जनपद बुलंदशहर के साथ मोटरसाइकिल से जुनैद की दवाई लेने के लिए घर से निकले थे। बताया गया कि आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर पजाया के पास पहुंचने पर पीछे से आए एक पिकअप वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों के अनुसार, टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घायल सोनू को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। बताया गया कि सोनू अपने नाना-नानी के घर बहजोई आया हुआ था। वहीं दूसरे घायल जुनैद को एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल बहजोई में भर्ती कराया गया। समाचार लिखे जाने तक दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी था।

2027 की जीत के लिए सपा ने कसी कमर, PDA पंचायत में बूथ स्तर पर तैयारी का आह्वान

नियुक्ति पत्र बांटकर संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा

संभल (सब का सपना):- विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को समाजवादी पार्टी की ओर से PDA पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं संभल विधायक नवाब इकबाल महमूद रहे। पंचायत में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। PDA पंचायत के दौरान पार्टी कार्यकताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि नवाब इकबाल महमूद और जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने संयुक्त रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। नेताओं ने कहा कि इन नियुक्तियों से संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथियों का कार्यकताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पंचायत को लेकर कार्यकताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम स्थल समाजवादी पार्टी के झंडों और बैनरों से सजा नजर आया। पंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर PDA पंचायत आयोजित की गई है। उन्होंने कार्यकताओं से अभी से बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को हर वर्ग तक पहुंचाना होगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर संभल का चौमुखी विकास कराया जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी की प्रमुख ताकत है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों को एकजुट कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और इसी के दम पर 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। युवा नेता सोहेल इकबाल महमूद ने युवाओं को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के विजन और समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए युवा कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष इरफान प्रधान, सईद इजरायली, जिला उपाध्यक्ष केपी सिंह ठाकुर, मौलाना साजिद हुसैन, नसीम हुसैन, नवाब हुसैन, रईस प्रधान, हाजी नदीम प्रधान, फैजान अंसारी, नदीम कुरैशी, अजीम कुरैशी, शौकीन प्रधान, तसिम खां, नदीम खान, यवर फाराज, प्रतीक नानू, फराज, असगर अली, एसपी बिलाल सहित कई वरिष्ठ नेता एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और बुलेट मोटरसाइकिल की भिड़ंत, युवक की मौत

दूसरे दिन गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, घायल किशोर की हालत नाजुक निजी अस्पताल में उपचार जारी

मृतक वीरेंद्र फाइल फोटो

हादसे में घायल अखिलेश

बहजोई/संभल(सब का सपना):- धनारी थाना क्षेत्र के पाठकपुर-जुनावई मार्ग पर ग्राम छपरा के पास रविवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बुलेट सवार 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और बुलेट मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत के चलते हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायल किशोर की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका उपचार मुरादाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम सुनवर सराय निवासी वीरेंद्र पुत्र रामजश (23) अपने साले अखिलेश पुत्र धर्मपाल (14), निवासी ग्राम शेरुआ थाना बहजोई के साथ रविवार को बुलेट मोटरसाइकिल से दवाई लेने पाठकपुर आए थे। बताया गया कि वीरेंद्र को टायफाइड बुखार था और वह दवाई लेकर अखिलेश के साथ बुलेट से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान शाम करीब छह बजे पाठकपुर-जुनावई मार्ग पर ग्राम छपरा के पास सामने से आ रही लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बुलेट की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बुलेट सवार वीरेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अखिलेश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अखिलेश को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल बहजोई पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल बहजोई भिजवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद वीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अखिलेश की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिजनों के अनुसार उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वीरेंद्र की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार वीरेंद्र की शादी करीब तीन वर्ष पहले कंचन (22) से हुई थी। उसके करीब 18 माह का मासूम बेटा कार्तिक भी है। जवान पति और पिता की मौत से पत्नी कंचन का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम बेटे के सिर से भी पिता का साया उठ गया। परिवार की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद वीरेंद्र का शव उसके पैतृक गांव सुनवर सराय स्थित निज निवास लाया गया। शव पहुंचते ही परिवार और ग्रामीणों में फिर से मातम छा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। गमगीन माहौल में वीरेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। जवान युवक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद लगभग हर ग्रामीण की आंखें नम नजर आईं।

धनारी थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हादसे में शामिल लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों के साथ ही फरार चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

गणेश रथयात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने किया पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

चन्दौसी/संभल(सब का सपना):- सोमवार को गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर कस्बा चन्दौसी में निकलने वाली गणेश रथयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। रथयात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सम्भल विकास चन्द्र त्रिपाठी ने रथयात्रा मार्ग पर पैदल गश्त कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने रथयात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा पुलिस बल की तैनाती का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को रथयात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। रथयात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपले निकालते समय महिला को सांप ने डसा, मची अफरा-तफरी

समय पर अस्पताल पहुंचने से बची जान, उपचार के बाद महिला को घर ले गए परिजन

बहजोई/संभल(सब का सपना):- थाना जुनावई क्षेत्र के ग्राम रेवाड़ा में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब उपलों के बटोरे से उपले निकाल रही एक महिला को उसमें छिपे सांप ने डस लिया। सांप के डसने के बाद महिला की हालत को लेकर परिजन घबरा गए और बिना देर किए उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल बहजोई लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया, जिसके बाद महिला की हालत में सुधार हो गया। ग्राम रेवाड़ा निवासी मोमिना पत्नी साबिर अली, उम्र करीब 43 वर्ष, रविवार शाम करीब पांच बजे अपने गांव में स्थित उपलों के बटोरे से उपले निकाल रही थीं। बताया जा रहा है कि उपलों के बीच पहले से ही एक सांप छिपा हुआ था। जैसे ही मोमिना ने उपले निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, सांप ने उन्हें डस लिया। सांप के डसने के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने समय गंवाए बिना महिला को वाहन से सरकारी अस्पताल बहजोई पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला का परीक्षण कर तत्काल उपचार शुरू किया। चिकित्सकों ने बताया कि महिला को बिना जहरीले सांप ने काटा था, जिसके चलते समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। इलाज के बाद महिला की हालत सामान्य होने पर चिकित्सकों ने उसे घर ले जाने की अनुमति दे दी।

इसके बाद परिजन महिला को अपने साथ घर लेकर चले गए। घटना के बाद गांव में सांप को लेकर कुछ देर तक ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में अक्सर सांप और अन्य जहरीले जीव-जंतु उपलों के बटोरे, लकड़ी और घास-फूस के ढेर में छिप जाते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत है।

कार्यालय ग्राम पंचायत भूवरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भूवरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत भूवरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, भूवरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बहादुरपुर मिश्र विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बहादुरपुर मिश्र विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बहादुरपुर मिश्र
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, बहादुरपुर मिश्र
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बीझलपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बीझलपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बीझलपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, बीझलपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत खरपड़ी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खरपड़ी विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत खरपड़ी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, खरपड़ी
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत इमरतपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत इमरतपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत इमरतपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, इमरतपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत तलावड़ा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तलावड़ा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत तलावड़ा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, तलावड़ा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत सूवरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सूवरा विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सूवरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, सूवरा
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत आदमपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 13.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आदमपुर विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 14.09.2026 से 21.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 21.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत आदमपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

सचिव, आदमपुर
विकासखंड गंगेश्वरी, जनपद अमरोहा

नगीना में गूंजा गणपति बप्पा मोरया का जयघोष, निकली भव्य आगमन शोभायात्रा

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- गणपति बप्पा मोरया के गगनभेदी जयघोष के साथ नगर में श्री गणेश जी की भव्य आगमन शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री गणेश मित्र मंडल नगीना के तत्वावधान में सोमवार को सेवा वाली गांवड़ी से सुबह 11 बजे पूजन के बाद शोभायात्रा शुरू हुई, जो रेलवे स्टेशन व नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मोहल्ला मुगलान में संपन्न हुई। शोभायात्रा में युवक बाइकों पर भगवा ध्वज लेकर आगे चल रहे थे, जबकि महिलाएं पीछे पैदल चल रही थीं। जिससे पूरा नगर गणपतिमय हो गया। शोभायात्रा के पश्चात नगर के पंडालों, मंदिरों व घरों में तीन दर्जन से अधिक छोटी-बड़ी गणेश प्रतिमाएं विधि-विधान से स्थापित की गईं। पंडित डॉ. विपिन चंद्र त्रिपाठी सहित अन्य पुजारियों ने हवन-पूजन के साथ प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस अवसर पर सुनील मराठा, संजीव उर्फ विक्की अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, गजेंद्र मराठा, अंशुल गर्ग, शुभम मराठा, अनुपम थापन, प्रदीप अग्रवाल, राजकुमार सेठी, राहुल सैनी, गौतम सैनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्सव के संस्थापक सुनील मराठा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे विशेष आरती व पूजा का आयोजन किया जाएगा।

विसर्जन शोभायात्रा 25 सितंबर शुक्रवार को सुबह 11 बजे राधेश्याम चौक से बैंड-बाजे व गुलाल के साथ निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण के बाद हरिद्वार में विसर्जित की जाएगी।

स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 15 के खिलाफ की गई सीजर-चालान की कार्यवाही

मिशन सेफ फ्यूचर-03 के तहत बिजनौर, धामपुर, नगीना रोड और नूरपुर में चला सघन चेकिंग अभियान

बिजनौर (सब का सपना):- स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को लेकर परिवहन विभाग ने सोमवार को ह्यमिशन सेफ फ्यूचर-03ह्न के तहत सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। एआरटीओ महेश शर्मा के नेतृत्व में गठित दो टीमों ने बिजनौर, धामपुर, नगीना रोड और नूरपुर क्षेत्र में स्कूली वाहनों की गहन जांच की। अभियान के दौरान 15 स्कूली वाहनों के खिलाफ सीजर और चालान की कार्रवाई की गई। एआरटीओ महेश शर्मा ने अभियान के लिए दो टीमें गठित की थीं। पहली टीम का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया, जबकि दूसरी टीम की कमान पीटीओ मुन्नालाल ने संभाली। टीमों ने स्कूली वाहनों को रोककर उनकी फिटनेस

प्रमाण पत्र की वैधता, परमिट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। परिवहन अधिकारियों ने स्कूली वाहनों में सवार छात्र-छात्राओं को भी जागरूक करते हुए बताया कि वे एम-परिवहन एप के माध्यम से वाहन के जरूरी प्रपत्रों की वैधता की जानकारी स्वयं भी जांच सकते हैं। यदि किसी वाहन के दस्तावेज अवैध अथवा मानकों के विपरीत पाए जाएं तो इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों को देने के साथ ऐसे वाहन में बैठने से भी मना करें। अभियान के दौरान कार्रवाई से स्कूली वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई से बचने के लिए अधिकारियों के पास सिफारिशें भी पहुंचीं, लेकिन प्रवर्तन टीमों ने नियमों के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती। एआरटीओ महेश शर्मा ने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्कूली वाहनों की जांच का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

सराफा बाजार में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे

विधि-विधान से हुई गणेश प्रतिमा की स्थापना, गणपति महोत्सव का शुभारंभ

बिजनौर (सब का सपना):- गणपति महोत्सव सोमवार को नगर के सरार्फा बाजार में गणेश प्रतिमा की विधि-विधान के साथ स्थापना की गई। प्रतिमा स्थापना के दौरान पूरा सरार्फा बाजार गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना में शामिल होकर भगवान गणेश से सुख-समृद्धि की कामना की।पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा की विधिवत स्थापना कराई। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को पुष्प, फल, मिष्ठान एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान ह्यगणपति बप्पा मोरयाह्न के जयकारों

से पूरा बाजार गूंजता रहा।सरार्फा बाजार में गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर आयोजकों और व्यापारियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर वैभव पाटील, धनंजय पाटील, सूरज पाटिल, विजय पाटिल, दीपक पाटिल, सुमित सिंघल, अखिल अग्रवाल, चंद्रमोहन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष सुमित सिंघल ने कहा कि गणपति महोत्सव आस्था, भक्ति और आपसी सौहार्द का पर्व है। सरार्फा बाजार में गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से महोत्सव के धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।प्रतिमा स्थापना के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों के अनुसार महोत्सव के दौरान आने वाले दिनों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालु प्रतिदिन गणपति जी के दर्शन और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना करेंगे।

हनीट्रैप गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

मुकदमे में फंसाने और समझौते के नाम पर धन ऐंठने का आरोप, पांच आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल

बिजनौर (सब का सपना):- जनपद पुलिस ने हनीट्रैप से जुड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह लोगों के आपसी विवाद व पुराने मुकदमों की जानकारी जुटाकर उन्हें दबाव में लेता था और मुकदमे में फंसाने व समझौता कराने के नाम पर धन वसूली करता था। पुलिस के मुताबिक 6 सितंबर को मोहम्मद अहसान पुत्र अल्लादिया निवासी काजीपाड़ा, उमर कालोनी, बिजनौर ने कोतवाली शहर में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली शहर में मु0अ0सं0 706/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस तथा थाना नूरपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी जुल्फेकार उर्फ बब्बू लंगड़ा गिरोह

का संचालन करता था। उसके साथ अफजाल, गुड्डी, कुन्नी, प्रीति, मोहम्मद आसिफ, दिलशाद सहित अन्य लोग जुड़े थे। आरोप है कि गिरोह महिलाओं व अन्य सहयोगियों के माध्यम से अलग-अलग थानों और जनपदों में बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराता था और बाद में समझौते के नाम पर डरा-धमकाकर धन वसूलता था। कोतवाली शहर पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आए दो आरोपियों मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद असगर निवासी ग्राम औरंगपुर भिक्कू उर्फ नारायणपुर, थाना मंडावली व दिलशाद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मोहल्ला सादात, कस्बा झालू, थाना हल्दौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इससे पहले 7 सितंबर को इसी प्रकरण में जुल्फेकार उर्फ बब्बू लंगड़ा, अफजाल, गुड्डी, कुन्नी और प्रीति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का बिजनौर व अमरोहा जनपद के विभिन्न थानों में आपराधिक इतिहास है। प्रकरण में विवेचना जारी है और प्रकाश में आने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक, कोतवाली शहर प्रभारी निरीक्षक अवनीत मान, सर्विलांस सेल के उपनिरीक्षक शौकत अली, उपनिरीक्षक विपिन डेढ़ा, उपनिरीक्षक संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल जोगिंद्र कुमार समेत स्वाट एवं सर्विलांस टीम के पुलिसकर्मी शामिल रहे।

टेंपो चालकों ने स्टैंड और संचालन की मांग को लेकर उठाई आवाज

सपा जिला महासचिव के नेतृत्व में प्रशासन से वार्ता, यातायात नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत

बहजोई/संभल(सब का सपना):- जनपद के बहजोई स्थित संभल तिराहे पर टेंपो संचालन को लेकर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में टेंपो चालक एकत्रित हो गए। चालकों ने यातायात पुलिस से टेंपो संचालन में आ रही परेशानियों को दूर करने और उनके लिए निर्धारित स्टैंड बनाए जाने की मांग की। चालकों का कहना था कि बीते दिनों हुए सड़क हादसे के बाद यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई किए जाने से उनमें हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार ने बताया कि टेंपो चालकों ने उन्हें बुलाकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। इसके बाद उन्होंने प्रशासन से इस संबंध में बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेंपो चालक प्रशासन की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। चालकों की

मांग है कि उन्हें टेंपो खड़े करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए और व्यवस्थित संचालन के लिए अलग से स्टैंड बनाया जाए। टेंपो चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ निजी वाहन चालक उन्हें परेशान करते हैं, जिससे उन्हें सड़क पर वाहन संचालित करने में परेशानी होती है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का भी समाधान कराने की मांग की। वहीं, यातायात प्रभारी जग रोशन सिंह ने कहा कि टेंपो चालकों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखने होंगे। वाहनों में लगे पायदान हटाने, क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाने और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संभल तिराहे पर सैकड़ों की संख्या में टेंपो चालक मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।

बहू पर सास की धारदार हथियार से हत्या का आरोप

जीने से गिरने की बात कहकर पति को बुलाया, घर पहुंचने पर खून से लथपथ मिली सास; पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में लिया

धामपुर/बिजनौर (सब का सपना):- जनपद के थाना धामपुर क्षेत्र के गांव करनावाला में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के बेटे ने अपनी पत्नी पर उसकी मां की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।मृतका के बेटे कमल के अनुसार, दोपहर में खाना खाने के बाद वह अपने काम पर चला गया था। शाम को उसकी पत्नी प्रीति ने फोन कर बताया कि

सास की हत्या करने वाली बहू प्रीति अरेस्ट

उसकी मां जीने से गिर गई हैं। सूचना मिलते ही कमल घर पहुंचा तो उसकी मां जमीन पर पड़ी थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे।कमल का आरोप है कि शक होने पर उसने अपने चाचा को बुलाकर पत्नी से घटना के संबंध में पूछताछ की। आरोप है कि प्रीति लगातार अलग-अलग बातें बताकर गुमराह करती रही। इस दौरान परिजनों के साथ उसकी कहासुनी और मारपीट भी हुई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। परिजनों के मुताबिक, पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ के दौरान महिला ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने की बात कही।

मृतका के बेटे का आरोप है कि उसकी पत्नी ने धारदार हथियार से उसकी मां के गले पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शॉर्ट सर्किट से यूपी ग्रामीण बैंक में लगी आग, मैनेजर केबिन जलकर राख

नजीबाबाद/बिजनौर (सब का सपना):- तहसील के सामने स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में रविवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि बैंक का मैनेजर केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही नजीबाबाद फायर ब्रिगेड के प्रभारी के.एस. जादौन टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

बैंक के ताले खुलवाकर दमकलकर्मियों ने घने धुएं के बीच कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एसी, प्रिंटर, फर्नीचर, बिजली के बोर्ड और जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए हैं। बैंक कर्मचारियों द्वारा कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

अखिलेश के पीडीए पर बरसे केशव, बोले- जनता फिर देगी भाजपा को प्रचंड बहुमत

एजेंसी

मीरजापुर। मां विंध्यवासिनी के दरबार में रविवार को पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ओर मां के चरणों में शीश नवाया तो दूसरी ओर सियासी मोर्चे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए को उन्होंने फर्जी करार देते हुए आरोप लगाया कि सपा ने पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा किया है। पुरानी वीआईपी मार्ग पर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने अंगवस्त्र पहनाकर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कुछ देर विश्राम के बाद केशव मौर्य नारियल, चुनरी, माला और पुष्प लेकर विंध्यधाम पहुंचे। वीआईपी गेट से गणेशजी का दर्शन-पूजन करने के बाद उन्होंने मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। दर्शन-पूजन के बाद नवनिर्मित सेफ हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गरीब कल्याण, महिला

सशक्तीकरण, किसान कल्याण और युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार काम किया है। बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया है। इसी के आधार पर जनता का समर्थन एक बार फिर भाजपा को मिलेगा। पीडीए पर सीधा हमला अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर केशव मौर्य ने कहा कि यह फर्जी है। आरोप लगाया कि सपा ने पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा किया है और जनता इसका जवाब पहले भी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता जवाब देगी और सपा के लोग सैफई तक सीमित रह जाएंगे। अखिलेश यादव के बयानों पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी न बोले। उन्होंने कहा कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में सड़कें गड्ढों से भरी थीं और कानून-व्यवस्था ध्वस्त थी। ऐसे में उन्हें अपनी सरकार के कार्यकाल को देखते हुए बयान देना चाहिए। ठेकेदारों को सख्त चेतावनी मीरजापुर की सड़कों की बदहाली पर सवाल उठने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढामुक्ति अभियान को लेकर बैठक हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। ग्रामीण सड़क, मुख्य मार्ग, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे–सभी को दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे ठेकेदारों को दोबारा ठेकेदारी का मौका नहीं दिया जाएगा। फसल नुकसान का होगा सर्वे, मिलेगा मुआवजा बारिश को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी वर्षा से किसानों में खुशी है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान भी हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है और जल्द किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। आकाश आनंद के भाजपा में आने की चर्चा पर केशव मौर्य ने इसे पारिवारिक विषय बताते हुए कहा कि इस पर उनका कोई जवाब नहीं है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेहड़ा चुंगी स्थित एक होटल में आयोजित त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज, नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र, सांसद विनोद बिंद, हर्षित खत्री समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुर्गा बना गुलदार के लिए जाल, डूडा कॉलोनी में पिंजरे में कैद हुई मादा गुलदार

कॉलोनी में कई दिनों से था गुलदार का खौफ, पिंजरे में कैद होते ही लोगों ने ली राहत की सांस

अफजलगढ़/बिजनौर (सब का सपना):- नगर के मोहल्ला डूडा कॉलोनी में कई दिनों से घूम रहे मादा गुलदार को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। गुलदार के पकड़े जाने से कॉलोनीवासियों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम ने मादा गुलदार का रेस्क्यू कर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पीली डेम वन चौकी पहुंचाया है। नगर के मौहल्ला डूडा कॉलोनी में पिछले कई दिनों से गुलदार की मौजूदगी को लेकर क्षेत्रवासियों में भय बना हुआ था। कॉलोनीवासियों की शिकायत पर वन विभाग की ओर से रविवार को डूडा कॉलोनी में पिंजरा लगाया गया था। पिंजरे में गुलदार को पकड़ने के लिए मुर्गा रखा गया था। बीती रात किसी समय मुर्गे के लालच में मादा गुलदार पिंजरे के अंदर पहुंच गई और उसमें कैद हो गई। सोमवार को पिंजरे में गुलदार के कैद होने की

सूचना मिलने पर चेयरपर्सन पति जावेद विकार,परवेज विकार, सभासद रिजवान हसन और समाजसेवी नौशाद रांझा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना पर वन विभाग के दरोगा सत्यवीर सिंह यादव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के बीच मादा गुलदार का सफल रेस्क्यू किया। वन विभाग के अनुसार पकड़े गए मादा गुलदार की उम्र करीब दो से तीन वर्ष है। रेस्क्यू के बाद उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पीली डेम वन चौकी लाया गया। गुलदार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही कॉलोनीवासियों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलदार के लगातार कॉलोनी में घूमने से बच्चों और महिलाओं में विशेष रूप से डर का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की टीम की कार्रवाई से लोगों को काफी राहत मिली है।

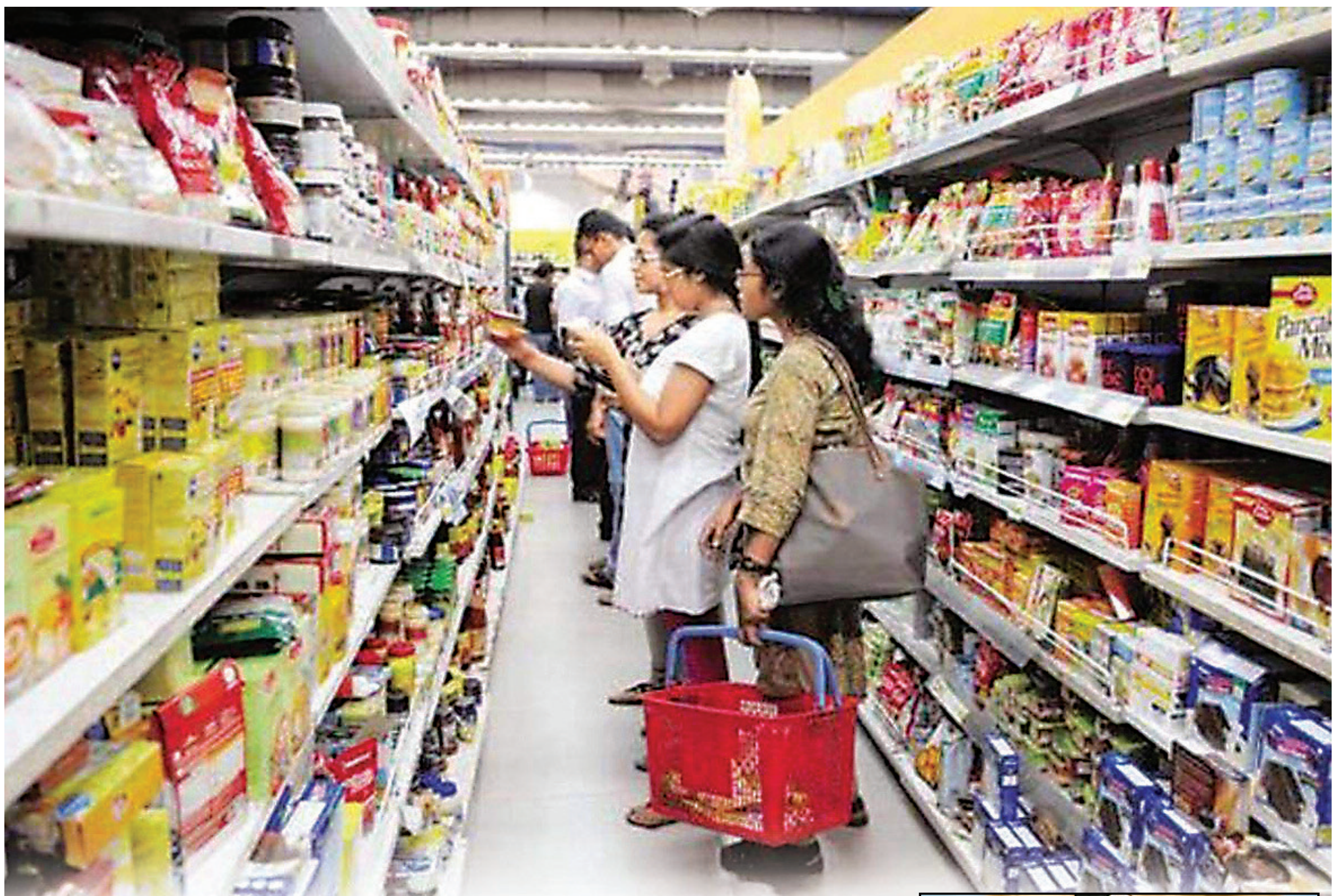

शॉपिंग के दौरान बचाने हैं पैसे तो फॉलो करें ये आसान टिप्स

शॉपिंग के दौरान अक्सर लोग अपने तय बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जो उनके बजट पर बुरा असर डालता है। इस स्थिति में उनके लिए महीने को मैनेज करना बड़ा टास्क बन जाता है। आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए हम लाए हैं कुछ बेहद काम के टिप्स।

बनाएं लिस्ट

सबसे पहले तो इसकी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या लेना है। लिस्ट का तरीका सिर्फ किराना लाने के लिए बल्कि कपड़ों आदि की शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको अपने कपड़ों को एक बार अच्छे से देखना है और यह लिखना है कि आपके पास क्या नहीं है या किस तरह के कपड़ों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यह फिल्टर उन चीजों पर बिना मतलब के खर्चे से बचने में मदद करेगा।

कैरी करें सिर्फ कैश

लोग डिजिटल पैमेंट की ओर जा रहे हैं और हम कैश कैरी करें जी हां, अगर आपको अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग करना है तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जब खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं होंगे तो भला आप दूसरी चीजों पर खर्च ही कैसे कर सकेंगे और यही चीज आपको फालतू के खर्चों से बचा लेगी।

एक जगह न अटकें

चाहे कपड़े लेने हों या फिर किराना, किसी एक जगह न अटकें और दूसरी जगहों पर भी इन चीजों को देखे। उदाहरण के लिए कपड़ों पर एक जगह जो जींस आपको 4000 की मिल रही है, वैसी ही जींस दूसरी जगह डिस्काउंट के साथ मिल सकती है या फिर दूसरे ब्रैंड में कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। इसी तरह मान लीजिए अगर एक ब्रैंड का लोशन 340 रुपये का मिल रहा है तो हो सकता है दूसरे ब्रैंड के लोशन पर इसी कीमत में एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। इसलिए जितना हो सके पहले एक्सप्लोर जरूर करें।

बोरियत में कुछ भी करें लेकिन शॉपिंग नहीं

बोरियत होने पर गेम्स खेलें, मूवी देखें, कुकिंग करें.कुछ भी करें लेकिन शॉपिंग नहीं। सबसे खतरनाक होती है इमोशनल शॉपिंग जो सबसे ज्यादा बिना मतलब का खर्चा करवाती है। इस तरह की शॉपिंग का एक और नुकसान यह भी होता है कि इस दौरान ली गईं ज्यादातर चीजें ऐसी होती है जिनका आप कभी यूज भी नहीं करेंगे।

ऑनलाइन देखें ऑप्शन्स

आजकल ज्यादातर ब्रैंड्स की वेबसाइट्स भी होती हैं जहां से कपड़ों को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इन वेबसाइट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी उपलब्ध होता है। ऐसे में आप चाहे तो स्टोर में कपड़ों को ट्राई कर सकती हैं और सही साइज मिल जाने पर उसे ऑनलाइन सर्च करें। अगर वहां ये सस्ते में मिल रहे हैं तो फिर वेबसाइट से ही इसे ऑर्डर करें।

शॉपिंग पार्टनर भी है अहम

हमें यकीन है आप में से कई लोगों ने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपकी फिजूलखर्ची के लिए आपके साथ शॉपिंग पर गया शख्स भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर वह आपको बार-बार नई चीज दिखाए और कहे कि आप इसे ले लें क्योंकि यह अच्छा लगेगा, या फिर डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा चीजें लेने की सलाह दे तो बेहतर है कि अगली बार आप उसके साथ न जाएं। शॉपिंग पर ऐसे शख्स के साथ जाएं जो आपको फिजूलखर्ची से रोके और आपको जो लेना है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करवाए।

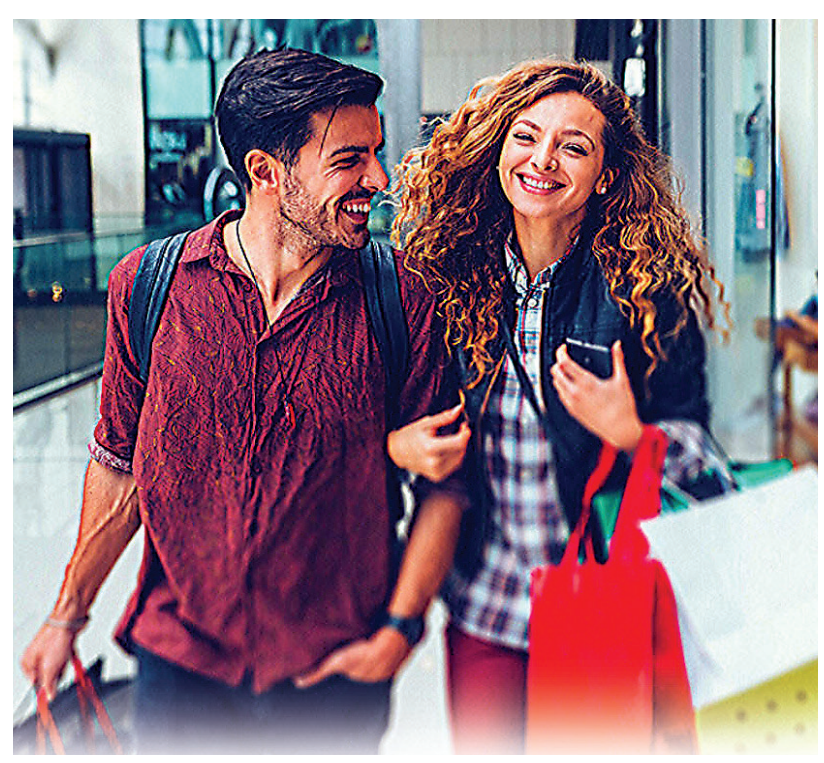

जा रहे हैं सब्जी लेने तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सब्जी खरीदने की बात आती है तो ज्यादातर लोग बस दाम पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस कम हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह फायदे का सौदा है। बल्कि आपको इन्हें खरीदने के दौरान ऐसी कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो सब्जी की मौजूदा क्वॉलिटी और वह कितनी जल्दी खराब हो जाएगी यह तय करते हैं।

सब्जी न हो कहीं से डैमेज

सब्जी जब लें तो उसे चारों ओर से पलटकर ध्यान से जरूर देखें। अगर उसमें जरा सा भी छेद या कट दिखाई देता है तो उसे न लें। ऐसी सब्जियों में कीड़े होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वहीं अगर जो सब्जियां किसी हिस्से से दबी हुई हों खासतौर से टमाटर जैसी चीज तो इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है।

हल्का सा दबाकर देखें

टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, गाजर हो या कोई अन्य सब्जी, उसे दबाकर जरूर देखें। हल्के से दबाव से ही पता चल जाता है कि कहीं वह सब्जी अंदर से खराब तो नहीं है। हालांकि, पत्तेदार सब्जियों पर यह तरीका काम नहीं करता है।

जब बात आए पत्तेदार सब्जियों की

पत्तेदार सब्जियों में इतने वैरायटी होती है कि सभी पर एक तरीका काम नहीं करता है। हालांकि, कुछ कॉमन बातें हैं जिनका इन्हें लेने के दौरान ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान में रखें कि ऐसी पत्तेदार सब्जी न लें जो पानी में बहुत ज्यादा भीगी हो, इनके जल्दी खराब होने के डर रहता है। पालक, लाल भाजी जैसी सब्जियों को लेते वक्त एक-एक पत्ते को ध्यान से देख लें क्योंकि इनके बीच में कीड़े हो सकते हैं। पत्ते पीले या बड़े हों तो उन्हें न लें क्योंकि उनमें स्वाद कम होता है।

सूंघकर देखें

मार्केट में पैक्ड मशरूम, कॉर्न्स, स्प्राउट्स जैसी चीजें मिलती हैं। इन्हें जब लें तो पैकेट को नाक से थोड़ी दूर पर रखते हुए उन्हें सूंघें। अगर वे पुराने होंगे तो उनकी स्मेल बदल चुकी होगी। ऐसे पैकेट्स को न लें, नहीं तो बीमार हो सकते हैं।

उतना ही लें जितना इस्तेमाल हो जाए

कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना आप इस्तेमाल कर पाएं। फ्रिज में भी ये सब्जियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं। उदाहरण के लिए धनिया और टमाटर। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ज्यादा ले तो लें लेकिन अगर ये सिर्फ फ्रिज में ही रखी हैं तो तीन-चार दिन में ही ये खराब होना शुरू कर देंगीं।

बेड के लिए परफेक्ट चादर खरीदने में काम आएंगी ये टिप्स

क्या आप मार्केट में नई बेडशीट लेने जाने के बारे में सोच रहे हैं अगर हां तो बेहतर होगा कि आप पहले नीचे दी गई जानकारी पढ़ें लें, ऐसा करने पर शायद आप ज्यादा बेहतर चादर का सिलेक्शन कर सकेंगे।

लोग आमतौर पर बेड के गद्दों को लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है चादर की तो वे इस मामले को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए जितना जरूरी अच्छा गद्दा है उतनी ही जरूरी चादर भी है। आप अपने बेड के लिए कैसे सही चादर चुन सकते हैं इसमें नीचे दिए टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं। फैब्रिक का रखें ध्यानसबसे बड़ी और पहली बात होती है फैब्रिक का सही सिलेक्शन करना। यह इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि बेडशीट का कपड़ा आपके शरीर के संपर्क में आएगा इसलिए चादर का सिर्फ सुंदर होना नहीं बल्कि कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। इस लिहाज से कॉटन की चादर बेस्ट फिट कही जा सकती है। कॉटन न सिर्फ स्किन के अगेंस्ट कंफर्टेबल रहता है बल्कि यह ब्रिदेबल फैब्रिक भी माना जाता है, जो नमी इकट्ठा नहीं करता।

साइज

बस यूं ही चादर लेने न निकल पड़ें। आपका बेड कितने साइज का है और आपको साइड में कितनी चादर छोड़नी है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेडशीट सिलेक्ट करें। आमतौर पर अगर आप मार्केट से चादर लेते हैं तो पैकेट पर ही साइज लिखा होता है, जो आपके काम को आसान कर सकता है। हालांकि, अगर आप बिना पैकेट वाली चादर लेते हैं तो नाप का ध्यान जरूर रखें।

वाइट- कलरफुल चादर

वाइट कलर की खासियत होती है कि यह शांत करने में मदद करता है। यही इफेक्ट सफेद चादर भी क्रिएट करती है। यह ज्यादा रिलैक्सिंग फीलिंग के साथ ही मूड को शांत करने में मदद करती है। वहीं कलरफुल चादर रूम में चियरफुल फील क्रिएट करती है। बात करें स्ट्राइप चादर की तो यह रूम को व्यवस्थित दिखाने में मदद करती है।

रिटर्न पॉलिसी

जी हां, इस बात को भूलकर भी इग्नोर न करें। कई बार होता है कि चादर लेने के बाद एक ही वॉश में सारे कलर उड़ जाते हैं। अच्छी कंपनीज अपने ग्राहकों को ऐसी स्थिति में चादर रिटर्न करने का भी ऑप्शन देती है क्योंकि यह क्वॉलिटी में खरे न उतरने वाली बात है। ऐसे में अगर आप ऐसी कंपनी की चादर ले लें जिसमें ऐसी रिटर्न पॉलिसी न हो तब तो आपकी चादर बस एक ही बार बिछाई जा सकेगी।

'मिर्जापुर' ने मेरे करियर में भरोसा बनाने में बहुत मदद की

'मिर्जापुर' की डिंपी यानी हर्षिता गौर लंबे समय से दर्शकों के बीच पहचान बना चुकी हैं। 'साड्डा हक' के बाद उन्हें करीब एक साल तक काम नहीं मिला। इस दौर में उन्हें खुद भी पता नहीं था कि वह डिप्रेशन से गुजर रही हैं। एक्टिंग वर्कशॉप ने उन्हें इससे बाहर निकलने में मदद की। 'मिर्जापुर' ने उनके करियर को नई पहचान दी और अब वह फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। बातचीत में हर्षिता ने करियर के उतार-चढ़ाव का किस्सा साझा किया।

'साड्डा हक' के बाद आपके करियर में सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा?
'साड्डा हक' खत्म होने के बाद करीब एक साल तक मेरे पास काम नहीं था। शो तीन साल चला था और मुझे लगा था कि अब फिल्मों में काम करूंगी। लेकिन काम मिलना आसान नहीं था। शुरुआत के एक-दो महीने घूमने-फिरने में निकल गए। उसके बाद मुंबई में बिना काम के रहना एक एक्टर के लिए काफी मुश्किल होता है। उस समय मैं डिप्रेशन में चली गई थी।

उस समय आपको पता था कि आप डिप्रेशन में जा रही हैं?
नहीं, उस समय मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था। बाद में डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में पता चला तो पीछे मुड़कर समझ आया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं मुंबई वाले घर में ही रहती थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी आईं और उन्होंने कहा कि काफी दिनों से दिखाई नहीं दीं। तब भी मैं किसी को ठीक से नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है।

फिर इस दौर से बाहर कैसे निकलीं?
मैंने अतुल मंगिया के सजेस्ट करने पर एक एक्टिंग वर्कशॉप की। मैं आज भी उन्हें अपना गुरु मानती हूं। उन्होंने मुझे एक एक्टर के तौर पर बेहतर किया और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बचाया भी। वह अनुभव मेरे लिए थेरेप्यूटिक रहा। उसके बाद समझ आया कि ऐसा महसूस होने पर थेरेपिस्ट से भी बात की जा सकती है। उस समय मुझे मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।

'मिर्जापुर' आपके करियर में कब आया?
'मिर्जापुर' मैंने अक्टूबर 2017 से करना शुरू किया था। उससे पहले मेरी एक्टिंग वर्कशॉप हो चुकी थी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। शो ने मुझे लोगों तक पहुंचाया और डिंपी के किरदार से मुझे अलग पहचान मिली।

'मिर्जापुर' की वजह से आपको आगे कितना फायदा मिला?
बहुत फायदा हुआ। 'जहानाबाद' का काम भी कहीं न कहीं 'मिर्जापुर' की वजह से मिला। साउथ की फिल्म 'फलकनुमा दास' भी मिली। जब लोग आपको किसी काम में देख चुके होते हैं तो उनका भरोसा बढ़ जाता है। 'मिर्जापुर' ने मेरे करियर में यह भरोसा बनाने में बहुत मदद की।

साउथ की फिल्म के बाद वहां आगे काम क्यों नहीं कर पाईं?
'फलकनुमा दास' 2019 में रिलीज हुई थी। उसके बाद मैं वहां और काम करना चाहती थी, लेकिन लगातार दो लॉकडाउन आ गए। मैं वापस वहां जा ही नहीं पाई। वरना मेरी साउथ में और काम करने की इच्छा थी।

इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या रही?
खुद को पहचानना। मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ सबसे बड़ी सफलता है। इस फील्ड में रहते हुए समझ आया कि मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ, कमजोरियां और पैटर्न क्या हैं और मैं अपने काम में क्या लेकर आती हूं।

इतने सालों में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
अपनी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना। हम ए से शुरू करते हैं और जेड तक पहुंचना चाहते हैं। बी, सी या डी तक पहुंचने पर लगता है कि अभी जेड तक नहीं पहुंचे। हम भूल जाते हैं कि शुरुआत ए से की थी। अपनी प्रगति को पहचानना और उसकी अहमियत समझना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रही।

मेल वर्सेस फीमेलः दोहरे मापदंडों का शिकार होती हैं फिल्में

तापसी ने साफ कहा कि बॉलीवुड में पुरुष केंद्रित और महिला केंद्रित फिल्मों के आकलन के मापदंड पूरी तरह अलग हैं। तापसी के अनुसार, अगर किसी बड़ी महिला प्रधान फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन खराब रहता है, तो उसका नुकसान केवल उस फिल्म के मेकर्स को नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की बाकी सभी अभिनेत्रियों और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को उठाना पड़ता है। क इंटरव्यू में जब तापसी से आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' के प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने माना कि ऐसी फिल्मों के न चलने का असर अन्य अभिनेत्रियों पर भी पड़ता है। पसी ने बताया, यह हर साल की कहानी बन चुकी है। जैसे ही किसी बड़े बजट या बड़े सुपरस्टार की महिला केंद्रित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, इन्वेस्टर्स की भाषा तुरंत बदल जाती है। वे कहने लगते हैं कि 'आजकल महिला प्रधान फिल्में नहीं चल रही हैं, जब इतनी बड़ी स्टार की फिल्म पिट गई तो बाकी का क्या होगा?' इसके बाद कई चलती हुई बातचीत रुक जाती है और बनने वाली फिल्में ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं।

तापसी ने इस बात पर जोर दिया कि मेल-सेंट्रिक एक्शन फिल्मों और फीमेल-सेंट्रिक एक्शन फिल्मों को तोपने का तरीका बहुत असमान है। बड़ी स्टार-कास्ट वाली पुरुष प्रधान फिल्मों को अक्सर कमजोर कहानी के बावजूद सिर्फ एक्शन और ग्लैमर के दम पर स्वीकार कर लिया जाता है। तापसी ने कहा, अगर किसी मेल-ड्रिवन फिल्म की कहानी 10 में से 5 या 6 भी हो, तो भी वह चल जाती है। लेकिन जब महिला प्रधान फिल्म पर पैसा लगाया जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि कहानी 10 में से 11 होनी चाहिए। हमारे लिए गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल माइनस में होती है।

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है 'गांधारी'

देवाशीष मखीजा के निर्देशन और कनिका ढिल्लों के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'गांधारी' में तापसी पन्नू के साथ इशवाक सिंह मुख्य भूमिका में हैं। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म फिलहाल नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और दर्शकों द्वारा तापसी के एक्शन अवतार को सराहा जा रहा है।

करीना कपूर ने बॉलीवुड निर्देशकों की सोच को बताया 'भेड़ चाल' जैसा!

बॉलीवुड में बीते कुछ दिनों में कई ऐसी फिल्म रिलीज हुई हैं, जिनमें लीड एक्टर का अंदाज बेहद आक्रामक दिखाया गया है। अब एक बातचीत के दौरान अभिनेत्री करीना कपूर ने इस मामले पर खुलकर बात की। साथ ही बॉलीवुड फिल्ममेकर्स से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया।

हाल ही में युवा नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक्ट्रेस ने नए दौर की आक्रामक फिल्मों पर बात करते हुए कहा, 'हमारे दर्शक जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। उन्हें पता है कि अच्छी फिल्म कौन सी है और वे उसे देखना चाहते हैं। आज बात सिर्फ एक यंग लव स्टोरी की नहीं है। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज कल हिंसा का दौर है।'

बोलीं- 'चीजें बदल रही हैं

अपनी बातचीत में आगे करीना कपूर ने कहा, 'एक 'एनिमल' फिल्म चल गई है तो हम भी वैसी ही बना लेते हैं। क्या हमारी सोच 'भेड़ चाल' जैसी है? हालांकि, कुछ ऐसे फिल्ममेकर्स भी हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। जो आपके विचारों को झकझोरना चाहते हैं और जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। मुझे लगता है कि अब चीजें बदल रही हैं। दर्शक अब ट्रेलर देखकर ही तय कर लेते हैं कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है।'

कब रिलीज होगी फिल्म 'दायरा'

करीना की अगली फिल्म 'दायरा' है। इसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में दोनों ही एक्टर्स पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे। यह क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्माण पेन स्टूडियोज और जंगली पिक्चर्स के बैनर तले हुआ है। यह फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

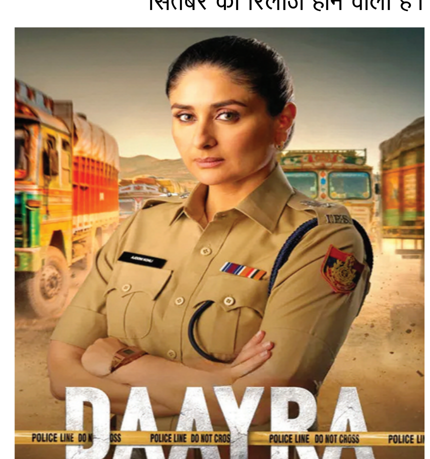

हर फिल्म करोड़ों नहीं कमा सकती

करीना ने यह भी बताया कि फिल्ममेकर्स अब पुराना माइंड सेट छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यंग ऑडियंस ऐसे सवाल पूछेगी जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आज के दौर में फिल्ममेकर्स ये सोचकर फिल्म नहीं बना सकते कि ये कॉमेडी है, तो चल जाएगी। हर फिल्म 200 करोड़ या 500 करोड़ कमाने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि हम इसे बदल रहे हैं और दर्शक इसमें हमारी मदद कर रहे हैं।'

24 सितंबर को रिलीज होने वाली है नानी की 'द पैराडाइज'

इंडस्ट्री के सूत्रों की मानें तो, डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की बेसब्री से इंतजार की जा रही एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'द पैराडाइज', जिसमें तेलुगु स्टार नानी मुख्य भूमिका में हैं, की शूटिंग अब पूरी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि फिल्म की यूनिट ने प्रोडक्शन का हिस्सा पूरा कर लिया है और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी जोरों पर है। एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी द्वारा निर्मित यह फिल्म 24 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर इस साल 23 सितंबर को होना है। इस बीच, निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म से नानी की एक नई तस्वीर जारी करके प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया। फिल्म न केवल अभिनेता की आकर्षक उपस्थिति के लिए, बल्कि इस तथ्य के लिए भी ध्यान आकर्षित कर रही है कि यह तस्वीर निर्देशक श्रीकांत ओडेला के मोबाइल का स्क्रीनशॉट थी। 'द पैराडाइज' 26 मार्च, 2026 को एक भव्य रिलीज के लिए निर्धारित थी। हालांकि, इसके निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज को पहले 21 अगस्त और फिर 24 सितंबर तक स्थगित करने का फैसला किया।

स्वभाव से ही मल्टीटास्कर होती हैं महिलाएं

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक्टिंग के साथ-साथ अपनी जिंदगी के अलग-अलग किरदारों को भी बखूबी निभाया है। उन्होंने शादी और मां बनने के बाद फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ बिजनेस पर भी ध्यान दिया। अब लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी कर चुकीं प्रीति ने अपनी जिंदगी के इस सफर और मां होने के साथ प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि करियर और परिवार को एक साथ संभालना आसान नहीं है, लेकिन सही सपोर्ट सिस्टम और सुविधाएं हों तो यह काम काफी हद तक आसान हो जाता है। बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा कि महिलाएं स्वभाव से ही मल्टीटास्कर होती हैं। उनके मुताबिक, महिलाओं के लिए घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालना कोई नई बात नहीं है। प्रीति ने अपनी मां का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही उनकी मां नौकरी नहीं करती थीं, लेकिन घर और परिवार की देखभाल करना अपने आप में किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं था। प्रीति ने कहा, अब महिलाएं सुपर वुमन बन गई हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं काम करती हैं और घर आने के बाद भी बच्चों की देखभाल करती हैं।'' एक्ट्रेस ने कहा, ''काम और मदरहुड को एक साथ संभालना चुनौती भरा जरूर है। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोगों का सपोर्ट है, जिनकी मदद से मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिम्मेदारियों को मैनेज कर पाती हूं। अगर मुझे मदद नहीं मिलती, तो मेरे लिए अपने काम के लिए बाहर आना भी मुश्किल होता।

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' में हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का

अभिनेत्री यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' के मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया। यह फिल्म डर के साथ-साथ कॉमेडी, फैंटेसी और पारिवारिक भावनाओं का एक अनोखा मिश्रण होगी। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'देवियों और सज्जनों, मोहिनी की तरफ से एक लिटिल रिक्वेस्ट। फिल्म 'नई नवेली' का टीजर रिलीज।' 1 मिनट 31 सेकंड के टीजर में एक आम घरेलू माहौल के बीच अजीब और हास्यप्रद स्थितियां देखने को मिलती हैं। टीजर की शुरुआत एक सामान्य परिवार से होती है, जहां घर में आई नई नवेली दुल्हन (यामी गौतम) सबका दिल जीतती है तभी देवर को शक होता है और वह गंभीर आरोप लगाता है कि भाभी डायन है।

इसके बाद टीजर जैसे आगे बढ़ता है अभिनेत्री यामी गौतम की झलक देखने को मिलती है, जिसमें वे कहती हैं, 'दो डायन, तीन पिशाच और चार भूत को मैं सुबह नाश्ते में खा जाती हूं।' बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी फिल्म 'नई नवेली' को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा (कलर येलो प्रोडक्शन और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज) मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की पटकथा हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है।

फिल्म की कहानी एक ऐसी दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देखने में बिल्कुल आदर्श लगती है। वह मेरठ के एक ऐसे परिवार में पहुंचती है, जहां पहले से ही काफी उथल-पुथल है। अपनी समझदारी और प्यार से वह इस बिखरे हुए परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते जिस घर में परेशानियां थीं, वहां खुशियां आने लगती हैं। इसी बीच उसके देवर को अपनी भाभी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि इतनी अच्छी और परफेक्ट भाभी के पीछे कोई राज जरूर है और कहीं वह वास्तव में डायन तो नहीं। यही शक फिल्म की कहानी को हास्य और रोमांच से जोड़ता है। फिल्म में यामी गौतम धर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म इसी साल दशहरे के मौके पर 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अनुज कुमार के द्वारा एजीएस पब्लिकेशंस एफ 23, सेक्टर 6, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित व गांव बुखारीपुर, पोस्ट ढवारसी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन कोड 244242 से प्रकाशित।
संपादक-अनुज कुमार, R.N.I. No.-UPHIN/2023/86483, मो0.945688 4327, E-mail-officialsabkasapna@gmail.com, www.sabkasapna.com नोट- समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अमरोहा जनपद न्यायालय होगा।